रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102024-257609
CG-DL-E-01102024-257609

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554] नई दिल्ली बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2024/ भाद्र 4, 1946
No. 554] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2024/ BHADRA 4, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2024

सा.का.नि.596 (अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण के अनुकूल ऐसे उत्पादों की मांग को बढ़ावा दिया है जो पर्यावरण पर कम प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं जिससे 'लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली)' के सिद्धांतों को समर्थन मिलेगा, कम ऊर्जा खपत, संसाधन के कुशल उपयोग और संरक्षण, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और उन उत्पादों के पर्यावरणीय पहलुओं पर भ्रामक सूचना पर रोक लगेगी।

और उत्पादों की इको-लेबलिंग उपभोक्ताओं को सूचना के साथ खरीद संबंधी निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और साथ ही विनिर्माताओं को पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उत्पादन शुरु करने के लिए प्रोत्साहित करती है जिससे हरित उद्योगों को बढ़ावा मिलता है;

और ईकोमार्क उन उत्पादों को अनुदत्त किया जा सकता है जो संसाधन के उपभोग और पर्यावरणीय प्रभावों, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव, प्रकृति और जैव विविधता पर प्रभाव, ऊर्जा खपत, अपशिष्ट सृजन, सभी पर्यावरणीय क्षेत्रों में उत्सर्जन, भौतिक प्रभावों के माध्यम से प्रदूषण और परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग और निर्मुक्ति के संबंध में निर्दिष्ट पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करते हैं;

और प्रारूप ईकोमार्क प्रमाणन नियम, 2023 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ 4441(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और प्राप्त किए गए सभी आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ii), धारा 6 की उपधारा (1), धारा 23 और धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ईकोमार्क नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएँ**. –इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) "उत्पाद" से प्रथम अनुसूची के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अभिप्रेत उत्पाद है;

(ग) "रजिस्ट्रीकृत अभिकरण" से नियम 13 के उपनियम (2) अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ङ) "सत्यापक" से नियम 12 के अधीन सत्यापक के रूप में रजिस्ट्रीकृत इकाई अभिप्रेत है।

3. ईकोमार्क के अनुदान के लिए शर्तें.- (1) ईकोमार्क ऐसे उत्पाद के लिए अनुदत्त किया जा सकता है जिसके पास भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अधीन भारतीय मानकों के अनुरूपता की अनुतप्ति या प्रमाणपत्र है और/या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी क्वालिटि नियंत्रण आदेशों का अधिदेश है, और जो ईकोमार्क के अनुदान के लिए प्रथम अनुसूची के स्तंभ (3) के अधीन तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है।

(2) प्रथम अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्ट ईकोमार्क के अनुदान के लिए मानदंडों में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे:-

क. अपशिष्ट सृजन और पर्यावरणीय उत्सर्जन को कम करके या समाप्त करके प्रदूषण में कमी लाना;

ख. उत्पाद पुनर्चक्रण योग्य हो या पुनर्चक्रित सामग्री से बना हो या दोनों;

ग. गैर नवीकरणीय संसाधन, जिसके अंतर्गत गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और प्राकृतिक संसाधन भी है, के उपयोग में कमी लाना;

घ. ऐसी किसी सामग्री, जो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, के उपयोग में कमी लाना;

(3) किसी उत्पाद के लिए ईकोमार्क के अनुदान हेतु मानदंड विकसित करते समय निम्नलिखित बातों पर विचार किया जा सकेगा,अर्थात्:-

क. उत्पादन प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत कच्चे माल के स्रोत भी है;

ख. प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग;

ग. पर्यावरण पर प्रभाव;

घ. उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले उत्सर्जन या अपशिष्ट का प्रभाव और विस्तार;

ङ. उत्पाद का निपटान और इसकी पैकेजिंग;

च. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन,जहां भी लागू हो;

छ. अपशिष्ट और पुनर्चक्रण सामग्रियों का उपयोग;

ज. पुनर्चक्रण के लिए उपयुक्तता;और

झ. परिसंकटमय पदार्थों के स्थान पर अपरिसंकटमय पदार्थों का उपयोग।

4. ईकोमार्क के प्रदान के लिए प्रक्रिया.- (1) नियम 3 के अधीन शर्तों का अनुपालन करने वाले उत्पाद के लिए ईकोमार्क **प्र**दान के लिए आवेदन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रारूप 1 में दिया जाएगा।

(2) आवेदन प्राप्त होने पर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं या सत्यापक के माध्यम से यह सत्यापित करेगा कि उत्पाद नियम 3 के अधीन शर्तों का अनुपालन करता है या नहीं।

(3) उपनियम (2) के अधीन ऐसा सत्यापन करने के पश्चात, जैसा आवश्यक हो, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक रिपोर्ट तैयार करेगा, या यदि सत्यापन सत्यापक द्वारा किया जाता है, तो सत्यापक एक रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसे सत्यापन की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा ।

(4) रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि उत्पाद नियम 3 के अधीन शर्तों का अनुपालन करता है, तो वह उत्पाद को ईकोमार्क अनुदान कर सकेगा।

(5) उपनियम (4) के अधीन अनुदत्त किया गया ईकोमार्क तीन वर्ष की अवधि के लिए या उत्पाद के लिए ईकोमार्क मानदंड में परिवर्तन होने तक, जो भी पहले हो, विधिमान्य होगा।

(6) ईकोमार्क की अवधि समाप्त होने पर उसके नवीकरण के लिए आवेदन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किया जा सकता है और इस नियम के उपनियम (1) से (5) तथा नियम 3 के उपबंध लागू होंगे।

(7) ईकोमार्क के प्रत्येक धारक को उत्पाद के संबंध में पूर्ववर्ती वर्ष के 1 अप्रैल से उत्तरवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के लिए वेब पोर्टल के माध्यम से सीपीसीबी द्वारा विहित निदर्शन पत्र के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऑनलाइन वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसी रिपोर्टों की परीक्षा करेगा तथा अपनी सिफारिशों के साथ उनका संकलन, यदि कोई हो, प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को या उससे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजेगा।

5. ईकोमार्क का रद्दकरण– (1) यदि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि किसी ईकोमार्क के धारक ने झूठी सूचना दी है या इन नियमों के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित किसी सूचना को जानबूझकर छिपाया है, तो वह ईकोमार्क के धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करके आदेश द्वारा ईकोमार्क को निलंबित या रद्द कर सकेगा।

(2) ईकोमार्क का धारक, यदि उपनियम (1) के अधीन किए गए आदेश से व्यथित है, तो वह ऐसे निलंबन या रद्दकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 2 में केंद्रीय सरकार को अपील कर सकेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील पर विचार कर सकेगी, यदि ईकोमार्क धारक केन्द्रीय सरकार का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

(4) केंद्रीय सरकार ईकोमार्क धारक को सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच के पश्चात्, जैसा वह ठीक समझे, ऐसा आदेश दे सकेगी जैसा वह आवश्यक समझे।

6. ईकोमार्क का उपयोग.- (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे किसी उत्पाद के संबंध में ईकोमार्क अनुदत्त किया गया है, ऐसे उत्पाद पर इन नियमों के अधीन अनुदत्त किया गया ईकोमार्क लेबल लगाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी उत्पाद पर ईकोमार्क का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे ऐसे उत्पाद के संबंध में ईकोमार्क अनुदत्त न किया गया हो।

7. संचालन समिति.- (1) केन्द्रीय सरकार एक संचालन समिति गठित करेगी जो इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) संचालन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे:-

क. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय- अध्यक्ष, पदेन;

ख. अपर सचिव या संयुक्त सचिव (प्रभारी ईकोमार्क), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य, पदेन;

ग. उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग में संयुक्त सचिव, भारत सरकार- सदस्य, पदेन;

घ. निम्नलिखित में से प्रत्येक एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव से नीचे के रैंक का न हो-

(i) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग- सदस्य, पदेन:

(ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय- सदस्य, पदेन;

(iii) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग- सदस्य, पदेन;

(iv) कृषि और किसान कल्याण विभाग- सदस्य, पदेन;

(v) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग- सदस्य, पदेन;

(vi) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय- सदस्य, पदेन;

(vii) विद्युत मंत्रालय- सदस्य, पदेन;

(viii) पेयजल और स्वच्छता विभाग- सदस्य, पदेन

(ix) व्यय विभाग- सदस्य, पदेन;

(x) विदेश मंत्रालय- सदस्य, पदेन;

(xi) वाणिज्य विभाग- सदस्य, पदेन;

(xii) वस्त्र मंत्रालय- सदस्य, पदेन;

(ङ) महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद- सदस्य, पदेन;

(च) महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो- सदस्य, पदेन;

(छ) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड- सदस्य, पदेन;

(ज) पर्यावरणीय मानकीकरण क्षेत्र से दो विशेषज्ञ- सदस्य, पदेन; और

(झ) उद्योग संगमों से दो प्रतिनिधि- सदस्य, पदेन।

(3) संचालन समिति, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, संचालन समिति की बैठकों में किसी अन्य व्यक्ति को आमंत्रित या सहयोजित कर सकती है।

(4) संचालन समिति का कार्य काल पांच वर्ष का होगा।

8. संचालन समिति के कार्य - (1) संचालन समिति निम्नलिखित के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगी, अर्थात्:-

(क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिश के आधार पर ईकोमार्क के अनुदान के लिए इन नियमों के अधीन सम्मिलित किए जाने वाले उत्पाद;

(ख) ईकोमार्क को बढ़ावा देने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय और रीति;

(ग) ईकोमार्क के अनुदान के लिए मानदंडों की समय-समय पर समीक्षा करना तथा केंद्रीय सरकार को सिफारिश करना;

(घ) किसी उत्पाद के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के सत्यापन के लिए किसी अनुसंधान को समर्थन देने के उपाय या ईकोमार्क के अनुदान के लिए मानदंडों का पुनरीक्षण करना।

(2) इन नियमों की प्रभावी और कुशल मॉनिटरी तथा कार्यान्वयन करने के लिए संचालन समिति ईकोमार्क धारकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उस पर की गई किसी भी सिफारिश की समीक्षा करेगी।

(3) संचालन समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे गए कोई अन्य कार्य भी करेगी।

9. **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य–** (1)केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

(क) ईकोमार्क के अनुदान के लिए इन नियमों के अधीन सम्मिलित किए जाने वाले उत्पादों की पहचान करना और संचालन समिति को इसकी सिफारिश करना:

(ख) उपलब्ध जानकारी, प्रौद्योगिकी और बाजार के विकास तथा अन्य देशों में अपनाए जा रहे मानदंडों के आधार पर 'ईकोमार्क' के अनुदान के लिए अपने मानदंड की समीक्षा करना और विकास करना तथा संचालन समिति को इसकी सिफारिशें करना;

(ग) ईकोमार्क अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए संचालन समिति के विचारार्थ पहलें प्रस्तुत करना;

(घ) सत्यापकों और अभिकरणों का रजिस्ट्रीकरण;

(ङ) ईकोमार्क प्रमाणपत्र धारकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों को संकलित करना ताकि इन्हें अगले वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई तक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा सके;

(च) इन नियमों के अधीन मान्यता प्रदान करने के लिए घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक इकोलेबलिंग कार्यक्रम का निर्धारण करना;

(छ) अंतरराष्ट्रीय इकोलेबलिंग कार्यक्रम का परस्पर मान्यता प्रदान करने के लिए निर्धारण;

(ज) संचालन समिति या केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

10. तकनीकी समिति.- (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, ऐसे विशेषज्ञों और/या विशेषज्ञ संगठनों से मिलकर बनी एक तकनीकी समिति का गठन कर सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे, जो इन नियमों के कार्यान्वयन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता करेगी।

(2) तकनीकी समिति निम्नलिखित मामलों में भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहायता ~~कर~~ करेगी, अर्थात्:-

(क) उत्पादों के लिए ईकोमार्क के अनुदान के लिए मानदंडों की समीक्षा करना और विकसित करना;

(ख) ईकोमार्क के अनुदान के लिए उत्पादों के सत्यापन की प्रक्रिया विकसित करना;

(ग) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसे निर्दिष्ट किसी भी तकनीकी मामले पर सलाह देना।

(3) तकनीकी समिति का कार्यकाल पांच वर्ष होगा।

11. ईकोमार्क के लिए वेब पोर्टल- (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवेदन करने और ईकोमार्क के अनुदान के लिए, ईकोमार्क धारक द्वारा वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने, इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत सत्यापक और अभिकरण, इन नियमों के अधीन ईकोमार्क के लिए शर्तों के अनुपालन के लिए उत्पादों की प्रभावी मॉनिटरी करने के लिए सत्यापकों और लेखा परीक्षकों के साथ-साथ अभिकरणों के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक वेब पोर्टल विकसित करेगा।

(2) प्रत्येक ईकोमार्क धारक, इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत सत्यापक और अभिकरण को प्रत्येक वर्ष की 31 मई को या उससे पहले पूर्ववर्ती वर्ष की पहली अप्रैल से लेकर उत्तरवर्ती वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि के लिए उनके द्वारा उक्त अवधि के दौरान अनुपालित क्रियाकलापों के संबंध में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ईकोमार्क पोर्टल पर विहित निदर्शन पत्र के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

(3) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वेब पोर्टल पर निम्नलिखित के संबंध में सूचना प्रकाशित करेगा, अर्थात्:-

(क) ईकोमार्क के प्रत्येक धारक का ब्यौरा और वह उत्पाद जिसके संबंध में इन नियमों के अधीन ईकोमार्क अनुदत्त किया गया है;

(ख) इन नियमों के अधीन ईकोमार्क अनुदत्त किए गए उत्पादों की सूची;

(ग) प्रत्येक उत्पाद के संबंध में रिपोर्ट, जिसके आधार पर इन नियमों के अधीन उत्पाद को यह ईकोमार्क अनुदत्त किया गया है;

(घ) किसी उत्पाद के संबंध में किए गए अनुसंधान और अध्ययनों की रिपोर्टें;

(ङ) ईकोमार्क वाले उत्पादों के फायदें; और

(च) इन नियमों के अधीन ईकोमार्क अनुदत्त किए गए प्रत्येक उत्पाद के संबंध में वैश्विक रूप से अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियां।

12 सत्यापक- (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण के क्षेत्र में तथा ईकोमार्क से संबंधित मामलों में अर्हता और अनुभव रखने वाली ऐसी इकाईयों को सत्यापकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगा, जिन्हें वह इन नियमों के अधीन ईकोमार्क के अनुदान के लिए तथा उसके नवीकरण के लिए उत्पादों के सत्यापन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

(2) प्रत्येक सत्यापक उत्तरवर्ती वर्ष की 31 मई को या उससे पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पूर्ववर्ती वर्ष में ~~से~~से सत्यापक द्वारा ~~में~~ किए गए क्रियाकलापों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

IndiaCode

13. ईकोमार्क वाले उत्पादों के संबंध में अनुपालन.- (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनी इच्छा से या उसे प्राप्त शिकायत पर, स्वयं या किसी रजिस्ट्रीकृत अभिकरण के माध्यम से, किसी ऐसे उत्पाद का, जिसे ईकोमार्क अनुदत्त किया गया है, इन नियमों के अधीन शर्तों के अनुपालन के लिए निरीक्षण और सत्यापन कर सकेगा।

(2) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसे अभिकरणों को रजिस्टर करेगा, जिनके पास प्रत्येक उत्पाद के संबंध में ईकोमार्क मानदंड के निरीक्षण और सत्यापन के लिए सुसंगत विशेषज्ञता और अनुभव हो, जैसा कि वह इन नियमों के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

(3) रजिस्ट्रीकृत अभिकरण, उत्पाद के ऐसे निरीक्षण और मूल्यांकन के बाद, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्पाद के संबंध में किसी भी शिकायत के बारे में ईकोमार्क धारक को सूचित करेगा तथा उससे अपना उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

(5) ईकोमार्क धारक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या रजिस्ट्रीकृत अभिकरणों को ऐसे निरीक्षण और सत्यापन करने की अनुज्ञा देगा, जो इन नियमों के अधीन शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(6) ईकोमार्क धारक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रजिस्ट्रीकृत अभिकरण को उस परिसर तक पहुंच प्रदान करेगा जिसमें संबंधित उत्पाद का उत्पादन या भंडारण किया जाता है।

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अभिकरण को पूर्ववर्ती वर्ष में उसके द्वारा किए गए क्रियाकलापों के संबंध में प्रत्येक वर्ष 31 मई को या उससे पहले केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

14. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका.- (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों या संचार के ऐसे अन्य साधनों के माध्यम से, जिन्हें समुचित समझा जाए, इन नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करेगी।

(2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जागरूकता फैलाने सहित अन्य क्रियाकलाप करेगी, जैसा संचालन समिति द्वारा सिफारिश की जाए और केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।

15. कार्यान्वयन समिति – (1) ईकोमार्क नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति को उपाय सुझाने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा;

(2) समिति ईकोमार्क नियमों के कार्यान्वयन की मॉनिटरी करेगी और कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऐसे उपाय भी करेगी जो अपेक्षित हो,;

(3) समिति को ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने और संचालित करने के लिए मार्गदर्शन और सिफारिशें प्रदान करने का भी कार्य सौंपा जाएगा;

(4) समिति में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, उद्योग संगमों के प्रतिनिधि और अन्य सुसंगत पणधारी सम्मिलित होंगे। समिति का अध्यक्ष किसी भी पणधारी/विशेषज्ञ को इस समिति में सम्मिलित कर सकेगा।

पहली अनुसूची

[नियम 2(ख) और 3(1)(च) देखें]

उत्पाद और ईकोमार्क प्रदान करने के लिए मानदंड

क्र.सं.	उत्पाद	ईकोमार्क प्रदान करने के लिए मानदंड
(1)	(2)	(3)
1.	आर्किटेक्चरल पेंट और पाउडर कोटिंग	**1. सामान्य अपेक्षाएँ**: 1.1 पेंट के सभी प्रकारों की गुणवत्ता और उपयोगिता से संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो के प्रासंगिक मानकों को पूरा किया जाएगा। 1.2 उत्पाद विनिर्माता को ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत सहमति/ स्वीकृति

		प्रस्तुत करना होगा। 1.3 उत्पाद में महत्वपूर्ण अवयवों की मौजूद मात्रा की सूची अवरोही क्रम में प्रदर्शित होनी चाहिए। ऐसे अवयवों की सूची भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित की जाएगी। 1.4 उत्पाद की पैकेजिंग पर संक्षेप में उन मानदंडों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिनके आधार पर उत्पाद को पर्यावरण अनुकूल के रूप में लेबल किया गया है। 1.5 उत्पाद को उचित उपयोग के निर्देशों के साथ बेचा जाएगा ताकि उत्पाद का उपयोग अधिकतम हो और बर्बादी न्यूनतम हो। 1.6 उत्पाद की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त सामग्री पुनःचक्रित, पुनः उपयोज्य अथवा जैवनिम्नीकृत होगी। 2. **विशिष्ट अपेक्षाएँ**: 2.1 **जल आधारित कोटिंग्स (शुष्क डिस्टेंपर और सीमेंट पेंट सहित)** 2.1.1 उत्पाद में 5 प्रतिशत से अधिक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) नहीं होने चाहिए। उत्पाद को पारा और पारा यौगिकों के साथ तैयार नहीं किया जाना चाहिए या सीसा, कैडमियम, क्रोमियम VI और उनके ऑक्साइड के रंगद्रव्यों के साथ रंगा नहीं जाना चाहिए। प्राकृतिक अशुद्धियाँ या उत्पादन प्रक्रिया से होने वाली अशुद्धियाँ, जो भार के अनुसार 0.1 प्रतिशत तक की मात्रा में हो सकती हैं, जो कच्चे माल में निहित हैं; इसमें शामिल नहीं हैं। 2.1.2 उत्पाद निम्नलिखित के साथ तैयार या निर्मित नहीं किया जाएगा: I.प्रति किलोग्राम पेंट में 10 मिलीग्राम से अधिक मुक्त फॉर्मेल्डिहाइड II. हैलोजनयुक्त विलायक III. बेंजीन और पौली-एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और IV. अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन **2.2 पाउडर कोटिंग्स** 2.2.1 उत्पाद किसी भी वीओसी (वाष्पशील कार्बनिक यौगिक) से मुक्त होना चाहिए। उत्पाद को पारा और पारा यौगिकों के साथ तैयार नहीं किया जाना चाहिए या सीसा, कैडमियम, क्रोमियम VI और उनके ऑक्साइड के रंगद्रव्यों के साथ रंगा नहीं जाना चाहिए। प्राकृतिक अशुद्धियाँ या उत्पादन प्रक्रिया से होने वाली अशुद्धियां, जो भार के अनुसार 0.1 प्रतिशत तक की मात्रा में हो सकती हैं, जो कच्चे माल में निहित हैं, इसमें शामिल नहीं हैं। 2.2.2 उत्पाद को प्रति किलोग्राम पेंट में 10 मिलीग्राम से अधिक मुक्त फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तैयार या निर्मित नहीं किया जाएगा। 2.3. **विलायक आधारित उच्च ठोस कोटिंग्स** 2.3.1 उत्पाद में 380 ग्राम/लीटर से अधिक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) नहीं होने चाहिए। उत्पाद को पारा और पारा यौगिकों के साथ तैयार नहीं किया जाना चाहिए या सीसा, कैडमियम, क्रोमियम VI और उनके ऑक्साइड के रंगद्रव्यों के साथ रंगा नहीं जाना चाहिए। प्राकृतिक अशुद्धियाँ या उत्पादन प्रक्रिया से होने वाली अशुद्धियाँ जो भार के अनुसार 0.1 प्रतिशत तक की मात्रा में हो सकती हैं, जो कच्चे माल में निहित हैं, इसमें शामिल नहीं हैं।

		2.3.2 उत्पाद निम्नलिखित के साथ तैयार या निर्मित नहीं किया जाएगा: i. प्रति किलोग्राम पेंट में 10 मिलीग्राम से अधिक मुक्त फॉर्मेल्डिहाइड ii. हैलोजनयुक्त विलायक iii. बेंजीन और बहु-सुगंधित हाइड्रोकार्बन, और iv. वजन के अनुसार से 10 प्रतिशत से अधिक अन्य सुगंधित हाइड्रोकार्बन
2	प्रसाधन सामग्री	1. **सामान्य अपेक्षाएँ**: 1.1 सभी निर्मित उत्पाद सुरक्षा, गुणवत्ता और उपयोगिता से संबंधित बीआईएस के निम्नलिखित भारतीय मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे: i. त्वचा पाउडर आईएस 3959:1978 ii. शिशुओं के लिए त्वचा पाउडर आईएस 5399:1978 iii. दंत पाउडर आईएस 5383:1978 iv. टूथ पेस्ट आईएस 6356:1993 v. त्वचा क्रीम आईएस 6608:1978 vi. बालों का तेल आईएस 7123:1993 vii. साबुन आधारित शैम्पू आईएस 7669:1990 viii. कृत्रिम डिटर्जेंट आधारित शैम्पू आईएस 7884:1992 ix. बालों की क्रीम आईएस 7679:1978 x. ऑक्सीकरण हेअर डाई तरल आईएस 8481:1993 xi. इत्र आईएस 8482:1977 xii. नाखून पोलिश (नेल इनैमल) आईएस 9245:1993 xiii. आफ्टर शेव लोशन आईएस 9255:1979 xiv. पोमेड्स और ब्रिलियंटाइन्स आईएस 9339:1988 xv. डेप्लिएटरीज केमिकल आईएस 9636:1988 xvi. शेविंग क्रीम आईएस 9740:1981 xvii. कॉस्मेटिक पेंसिल आईएस 9832:1981 xviii. लिपस्टिक आईएस 9875:1990 1.2 प्रसाधन-सामग्री को तैयार करने में प्रयुक्त सभी घटक, आईएस 4707 (भाग-I): 1988 और आईएस 4707 (भाग-II): 1993 में विनिर्दिष्ट उपबंधों के साथ-साथ उत्पाद विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन में होंगे। 1.3 उत्पाद के पैकेज पर मौजूद मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में महत्वपूर्ण घटकों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। 1.4 ऐसे घटकों की सूची बीआईएस द्वारा निर्धारित की जाएगी। उत्पाद के विनिर्माता को ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत प्राधिकार, यदि अपेक्षित हो, के साथ-साथ जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1977 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम,

		1981 के उपबंधों के अनुसार सहमति/स्वीकृति प्रस्तुत करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों का भी अनुपालन करना होगा। 1.5 यदि उत्पाद का पैकेज ईकोमार्क स्कीम के तहत पृथक रूप से शामिल नहीं किया गया है, तो उत्पाद के पैकेज को उपयुक्त तरीके से इस प्रकार चिह्नित किया जाएगा कि ईकोमार्क लेबल केवल सामग्री पर लागू हो। 1.6 उत्पाद की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त सामग्री पुनःचक्रित, पुनः उपयोज्य अथवा जैवनिम्नीकृत होगी। 1.7. उत्पाद की पैकेजिंग में उस मानदंड को संक्षेप में प्रदर्शित किया जा सकता है जिसके आधार पर उत्पाद पर पर्यावरण अनुकूल लेबल लगाया गया है। 2. **विशिष्ट अपेक्षाएं :** 2.1 **आईएस** 4011:1982 **द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति द्वारा परीक्षण किए जाने पर उत्पाद त्वचा के लिए सुरक्षित होगा।** 2.1.1 प्रसाधन-सामग्री तैयार करने में जहां कहीं भी सर्फेक्टेंट एजेंटों का उपयोग किया जाता है उनकी जैवनिम्नीकृत ता सिंथेटिक डिटर्जेंट हेतु ईकोमार्क के लिए निर्धारित सीमा के अनुसार होगी। 2.1.2 भारतीय मानकों में विनिर्दिष्ट पद्धतियों द्वारा परीक्षण किए जाने पर लेड (पीबी) और आर्सेनिक (एएस203) के रूप में परिकलित भारी धातुएं क्रमशः 20 पीपीएम और 2 पीपीएम से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2.1.3 टूथ पेस्ट/टूथ पाउडर : इन उत्पादों को तैयार करने के प्रयोजन से, आईएस 6356:1993 और आईएस 5383:1978 में सूचीबद्ध घटकों का ही उपयोग किया जाएगा। हालांकि, टूथ पेस्ट फ्लोराइडयुक्त नहीं होना चाहिए और अशुद्धता के रूप में फ्लोराइड (एफ) की उपस्थिति, भारतीय मानकों में विनिर्दिष्ट पद्धति द्वारा परीक्षण किए जाने पर 25 पीपीएम की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2.1.4 हेयर डाई : लेड आधारित डाई का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 2.1.5 नेल पॉलिश : हलोजनयुक्त कार्बनिक सॉल्वैंट्स का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
3.	बैटरी	क. स्वचालित लेड-एसिड बैटरी **1.0 सामान्य अपेक्षाएं :** 1.1 स्वचालित लेड-एसिड बैटरी, भारतीय मानक ब्यूरो के संगत मानकों को पूरा करेंगी। 1.2 उत्पाद के विनिर्माता को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत यथा अपेक्षित अनुमोदन के साथ जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार सहमति स्वीकृति प्रस्तुत करनी होगी। 1.3 उत्पाद की पैकेजिंग पर उस मानदंड को संक्षेप में प्रदर्शित किया जा सकता है जिसके आधार पर उत्पाद पर पर्यावरण अनुकूल लेबल लगाया गया है। 1.4 उत्पाद को उचित उपयोग के अनुदेशों के साथ बेचा जा सकता है ताकि

उत्पाद का कार्य-निष्पादन अधिकतम हो और उसका सुरक्षित निपटान किया जा सके।

1.5 उत्पाद की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त सामग्री पुनःचक्रित या जैवनिम्नीकृत होगी।

1.6 विनिर्माता, प्रयुक्त बैटरियों के लिए संग्रहण एवं भुगतान प्रणाली की व्यवस्था करेगा और ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय भारतीय मानक ब्यूरो को इस आशय के प्रमाण-पत्र या उद्घोषणा के माध्यम से साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।

2.0 उत्पाद विशिष्ट अपेक्षाएं

2.1 स्वचालित लेड-एसिड बैटरी:

2.1.1 कि.ग्रा. प्रति बैटरी (क) में प्रयुक्त लेड की मात्रा कि.ग्रा. में इलेक्ट्रोलाइट बैटरी का भार (ख)और क:ख का अनुपात नीचे दी गई सीमाओं से अधिक नहीं होगा :

क्र.सं.	**बैटरी का प्रकार**	**लेड सामग्री 'क' कि.ग्रा. में**	**इलेक्ट्रोलाइट के साथ चार्जड् बैटरी का भार 'ख' कि.ग्रा. में**	**अनुपात क:ख**
(क) 20 **घंटे की दर क्षमता पर आईएस** 7372 (**पार्ट-1**) **में बैटरी का प्रकार**				
1.	12 वी 32 एएच	6.11	10.5	59
2.	12 वी 35 एएच	6.6	11.0	60
3.	12 वी 50 एएच	8.36	16.0	53
4.	12 वी 60 एएच	9.96	17.5	57
5.	12 वी 75 एएच	13.75	22.5	62
6.	12 वी 110 एएच	17.17	30.2	57
7.	12 वी 120 एएच	19.32	36.0	56
8.	12 वी 135 एएच	20.91	36.3	58
9.	12 वी 150 एएच	24.8	45.0	56
(ख)10 **घंटे की दर क्षमता पर आईएस** 13568:1992 **में बैटरी का प्रकार**				
10.	6 वी 4	0.5	0.85	59

				एएच			
			11.	6 वी 6 एएच	0.7	1.3	54
			12.	6 वी 14 एएच	1.51	2.8	64
			13.	12 वी 2.5 एएच	0.7	1.15	61
			14.	12 वी 5 एएच	1.44	2.10	69
			15.	12 वी 6.5 एएच	1.50	2.35	64

2.1.2 बैटरियों में प्रयुक्त लेड की पुनर्प्राप्ति/विनिर्माण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अंतर्गत यथा अपेक्षित अनुमोदन के साथ जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों का अनुपालन करने वाली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

2.1.3 बैटरी की'ऑक्साइड' तथा 'ग्रिड' प्लेटों का विनिर्माता पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के तहत यथा अपेक्षित अनुमोदन के साथ साथ-साथ जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

2.4 किसी तिमाही के दौरान विनिर्मित बैटरियों में निहित लेड की कुल मात्रा 100 प्रतिशत होने की स्थिति में, 3 महीने की अवधि (रोलिंग औसत के रूप में) में किसी भी समय मापे गए (पोस्ट-कंज़्यूमर लेड से) पुनर्चक्रित लेड का निम्नलिखित प्रतिशत उत्पाद में निहित होगा :

i. 1 वर्ष तक न्यूनतम 25%

ii. 2 वर्ष तक न्यूनतम 40%

iii. 3 वर्ष तक न्यूनतम 50%

ख. ड्राई सेल बैटरी

1. **सामान्य अपेक्षाएं :**

1.1 ड्राई सेल बैटरियां, भारतीय मानक ब्यूरो के संगत मानकों को पूरा करेंगी।

1.2 उत्पाद विनिर्माता को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत प्राधिकार, यदि अपेक्षित हो, के साथ-साथ जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 उपबंधों के अनुसार सहमति स्वीकृति प्रस्तुत करनी होगी।

		1.3 उत्पाद की पैकेजिंग पर उस मानदंड को संक्षेप में प्रदर्शित किया जा सकता है जिसके आधार पर उत्पाद पर पर्यावरण अनुकूल लेबल लगाया गया है। 1.4 उत्पाद को उचित उपयोग के अनुदेशों के साथ बेचा जा सकता है ताकि उत्पाद का निष्पादन अधिकतम हो उसका सुरक्षित निपटान किया जा सके। 1.5 उत्पाद की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त सामग्री, पुनः चक्रित या जैवनिम्नीकृत होगी। 1.6 विनिर्माता, प्रयुक्त बैटरियों के लिए संग्रहण एवं भुगतान प्रणाली की व्यवस्था करेगा और ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय भारतीय मानक ब्यूरो को इस आशय के प्रमाण-पत्र या उद्घोषणा के माध्यम से साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। 2. **उत्पाद विशिष्ट अपेक्षाएं :** 2.1 नॉन-रिचार्जेबल ड्राई सेल बैटरी : बैटरियों में पारे की मात्रा, भार के 0.005 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2.2 रीचार्जेबल ड्राई सेल बैटरी : रीचार्जेबल बैटरियों में पारा 0.005 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
4.	लुब्रिकेशन ऑयल	1. **सामान्य अपेक्षाएं :** 1.1. सभी लुब्रिकेशन/विशेषता वाले तेल, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा अधिसूचित संगत भारतीय मानकों को पूरा करेंगे। 1.2. उत्पाद के विनिर्माता को ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत प्राधिकार, यदि अपेक्षित हो, के साथ-साथ क्रमश: जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार सहमति/स्वीकृति प्रस्तुत करनी चाहिए। 1.3. उत्पाद पर बीआईएस द्वारा तय किए जाने वाले भार के प्रतिशत में महत्वपूर्ण घटकों की मौजूद मात्रा की सूची अवरोही क्रम में प्रदर्शित की जानी चाहिए। 1.4. उत्पाद की पैकेजिंग में उस मानदंड को संक्षेप में प्रदर्शित किया जा सकता है जिसके आधार पर उत्पाद पर पर्यावरण अनुकूल लेबल लगाया गया है। 1.5. उत्पाद की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त सामग्री पुनःचक्रित, पुन:प्रयोज्य या जैवनिम्नीकृत होगी। 1.6. उत्पाद के पैकेज या इसके साथ लगे लीफलेट में उचित उपयोग, भंडारण एवं परिवहन संबंधी अनुदेश और उपयोग के बाद निपटान संबंधी दिशानिर्देशों और उसकी सुरक्षित संचालन संबंधी सावधानिया लिखी होगी, ताकि उत्पाद के निष्पादन को अधिकतम और इसकी बर्बादी को न्यूनतम किया जा सके। 2. **उत्पाद विशिष्ट अपेक्षाएं :** 2.1 लुब्रिकेशन ऑयल (परिशुद्ध): तेल की निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं: क) लुब्रिकेंट्स : वनस्पति तेल आधारित

IndiaCode

		ख) लुब्रिकेंट्स: वनस्पति तेल आधारित के अलावा अन्य 2.1.1 उत्पाद का जलीय जीवों पर विषाक्त प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ईसी 50/एलसी 50, 1.0 मि.ग्रा./लीटर से कम नहीं होगा। 2.1.2 बेस ऑयल, एडिटिव्स और तैयार उत्पादों में जैवनिम्नीकृतता का नीचे उल्लिखित प्रतिशत होना चाहिए : i. 90% लुब्रिकेंट्स (वनस्पति तेल आधारित) ii. 60% लुब्रिकेंट्स (वनस्पति तेल आधारित के अलावा) उपर्युक्त प्रतिशत जैवनिम्नीकृतता का परीक्षण, ओईसीडी परीक्षण पद्धति सीईसी-एल-33-टी-82 तथा 21 दिनों में किया जाएगा। 2.1.3 उत्पाद में लेड और बेरियम जैसी विषैली धातुएं निहित नहीं होनी चाहिए। ए.ए.एस. पद्धति के अनुसार परीक्षण किए जाने पर 0.25% से अधिक की सांद्रता में एंटीमनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। 2.1.4 उत्पाद में पी सी बी, पी सी टी और पी बी टी के साथ-साथ नाइट्राइट्स जैसे हलोजनयुक्त उत्पाद शामिल नहीं होने चाहिए। 2.2 पुनःशोधित/पुनःपरिष्कृत तेलों से तैयार लुब्रिकेंट्स- 2.2.1 उत्पाद में पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल पुन:परिष्करण प्रक्रिया के माध्यम से सुधार किए गए 50% से अधिक मात्रा में पुनःपरिष्कृत/पुनर्चक्रित उत्पाद निहित होंगे। 2.2.2 उत्पाद, लुब्रिकेंटिंग ऑयल (परिशुद्ध) के लिए नियत उत्पाद विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।
5.	साबुन और डिटर्जेंट	**क. प्रसाधन साबुन** 1. **सामान्य अपेक्षाएं :** 1.1 सभी प्रसाधन साबुन गुणवत्ता, सुरक्षा और निष्पादन के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के संगत मानकों को पूरा करेंगे। 1.2 विनिर्माताओं को ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्राधिकार, यदि अपेक्षित हो, के साथ-साथ क्रमश: जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार सहमति/स्वीकृति प्रस्तुत करनी चाहिए; 1.3 उत्पाद पर भार के प्रतिशत में महत्वपूर्ण घटकों की मौजूद मात्रा की सूची अवरोही क्रम में प्रदर्शित की जानी चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण घटकों की सूची को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा अभिज्ञात किया जाएगा; 1.4 उत्पाद की पैकेजिंग सामग्री पुनःचक्रित, पुन:प्रयोज्य या जैवनिम्नीकृत सामग्री से बनाई जाएगी; 1.5 उत्पाद की पैकेजिंग में उस मानदंड को संक्षेप में प्रदर्शित किया जा सकता है जिसके आधार पर उत्पाद पर पर्यावरण अनुकूल लेबल लगाया गया है; और 1.6 उत्पाद के साथ उचित उपयोग संबंधी विस्तृत अनुदेश दिए जा सकते हैं

		ताकि उत्पाद के निष्पादन को अधिकतम और इसकी बेकारी को न्यूनतम किया जा सके। 2. **विशिष्ट अपेक्षाएं :** 2.1 तैयार या विनिर्मित उत्पाद में फॉस्फेट और सिंथेटिक डिटर्जेंट नहीं होने चाहिए। 2.2 डीओसी: सीएचडी: 025(0236) में दी गई पद्धतियों से परीक्षण किए जाने पर उत्पाद त्वचा के लिए सुरक्षित होगा। **ख. डिटर्जेंट** **1. सामान्य अपेक्षाएं**: 1.1 घरेलू उपयोग और औद्योगिक उपयोग के लिए सभी डिटर्जेंट फार्मूलेशन गुणवत्ता, सुरक्षा और निष्पादन के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो(बीआईएस) के संगत मानकों को पूरा करेंगे \| 1.2 विनिर्माताओं को ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्राधिकार, यदि अपेक्षित हो, के साथ-साथ क्रमश: जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार सहमति/स्वीकृति प्रस्तुत करनी चाहिए; 1.3 उत्पाद पर भार के प्रतिशत में महत्वपूर्ण घटकों की मौजूद मात्रा की सूची अवरोही क्रम में प्रदर्शित की जानी चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण घटकों की सूची को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा अभिज्ञात किया जाएगा; 1.4 उत्पाद की पैकेजिंग में उस मानदंड को संक्षेप में प्रदर्शित किया जा सकता है जिसके आधार पर उत्पाद पर पर्यावरण अनुकूल लेबल लगाया गया है; 1.5 उत्पाद के साथ उचित उपयोग संबंधी विस्तृत अनुदेश दिए जा सकते हैं ताकि उत्पाद के निष्पादन को अधिकतम और इसकी बर्बादी को न्यूनतम किया जा सके; और 1.6 उत्पाद की पैकेजिंग सामग्री पुनःचक्रित, पुन:उपयोज्य या जैव निम्नीकृत सामग्री से बनाई जाएगी। **2.** उत्पाद विशिष्ट अपेक्षाएं : 2.1 उत्पाद में फॉस्फेट नहीं होना चाहिए। इसके स्थान पर किसी भी अन्य पर्यावरण के अनुकूल विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। 2.2 उत्पाद के उपयोग के संबंध में सुरक्षा का मूल्यांकन समय-समय पर यथासंशोधित बीआईएस मानकों में दी गई पद्धतियों के अनुसार किया जाएगा: 2.3 इरिटेंट क्षमता से संबंधित सुरक्षा मूल्यांकन आईएस 11601 (भाग I) - 1990 के अनुसार किया जाना है और 2.4 त्वचा संवेदी क्षमता का मूल्यांकन आईएस: 11601 (भाग II) - 1991 के अनुसार किया जाना है तथा उत्पाद को भारतीय मानक में निर्धारित संशोधित स्ट्रम परीक्षण द्वारा परीक्षण किए जाने पर त्वरित जैवनिम्नीकृत सर्फेक्टेंट के साथ तैयार या विनिर्मित किया जाना चाहिए। **ग. कपड़े धोने के साबुन** **1.** .सामान्य अपेक्षाएं :

		1.1 कपड़े धोने के सभी साबुन गुणवत्ता, सुरक्षा और निष्पादन के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो के संगत मानकों को पूरा करेंगे \| 1.2 विनिर्माताओं को ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्राधिकार, यदि अपेक्षित हो, के साथ-साथ क्रमश: जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार सहमति/स्वीकृति प्रस्तुत करनी चाहिए; 1.3 उत्पाद पर भार के प्रतिशत में महत्वपूर्ण घटकों की मौजूद मात्रा की सूची अवरोही क्रम में प्रदर्शित की जानी चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण घटकों की सूची को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा अभिज्ञात किया जाएगा; 1.4 उत्पाद की पैकेजिंग सामग्री पुनर्चक्रण, पुन: प्रयोज्य या जैवनिम्नीकृत सामग्री से बनाई जाएगी और पैकेजिंग के विशिष्ट मामले के संबंध में पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग की स्कीम के तहत विकसित मापदंड लागू होंगे। 1.5 उत्पाद की पैकेजिंग में उस मानदंड को संक्षेप में प्रदर्शित किया जा सकता है जिसके आधार पर उत्पाद पर पर्यावरण अनुकूल लेबल लगाया गया है; 1.6 उत्पाद के साथ उचित उपयोग संबंधी विस्तृत अनुदेश दिए जा सकते हैं ताकि उत्पाद के निष्पादन को अधिकतम और इसकी बर्बादी को न्यूनतम किया जा सके; और 1.7 तैयार या विनिर्मित किए गए उत्पाद में फॉस्फेट नहीं होना चाहिए। 1.8 यदि कपड़े धोने वाले साबुन के विनिर्माण में साबुन रहित डिटेर्जेंट (एनएसडी) का उपयोग किया गया है, तो भारतीय मानक में निर्धारित संशोधित स्ट्रम परीक्षण द्वारा परीक्षण किए जाने पर वह त्वरित जैवनिम्नीकृत होना चाहिए। 1.9 सामग्री को आईएस 11601 (भाग I) – 1986 के अनुसार इरिटेंट क्षमता संबंधी मूल्यांकन किए जाने पर तथा आईएस: 11601 (भाग II) - 1992के अनुसार त्वचा संवेदी क्षमता का मूल्यांकन किए जाने पर इस परीक्षण में पास होना चाहिए।
6	कागज़	**1. सामान्य अपेक्षाएं** : 1.1 कागज़ के सभी विनिर्माता गुणवत्ता और निष्पादन के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो(बीआईएस) के संगत मानकों को पूरा करेंगे \| 1.2 विनिर्माताओं को ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्राधिकार, यदि अपेक्षित हो, के साथ-साथ क्रमश: जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार सहमति/स्वीकृति प्रस्तुत करनी चाहिए; 1.3 उत्पाद की पैकेजिंग में उस मानदंड को संक्षेप में प्रदर्शित किया जा सकता है जिसके आधार पर उत्पाद पर पर्यावरण अनुकूल लेबल लगाया गया है; 1.4 उत्पाद की पैकेजिंग सामग्री पुनःचक्रित, पुन: उपयोज्य या जैवनिम्नीकृत सामग्री से बनाई जाएगी और ऐसी पैकेजिंग के संबंध में विकसित मापदंड लागू होंगे।

		2. विशिष्ट अपेक्षाएं : 2.1 लुगदी से निर्मित कागज और कागज के बोर्ड जिन का वजन बांस, ठोस लकड़ी, नरम लकड़ी और ईख के अलावा अन्य सामग्रियों से बने लुगदी के वजन से 60 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए । 2.2 पुनर्चक्रित कागज़ और कागज़ के बोर्ड अनिवार्य रूप से 100 प्रतिशत अपशिष्ट कागज़ से बनाए जाएं।
7	खाद्य सामग्री	**क. खाद्य तेल, चाय और कॉफी** **1. सामान्य अपेक्षाएं :** 1.1 खाद्य तेलों, चाय और कॉफी के सभी फार्मूलेशन भारतीय मानक ब्यूरो के गुणवत्ता संबंधी संगत मानकों को पूरा करेंगे। 1.2 ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय उत्पाद के विनिर्माता को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत प्राधिकार, यदि अपेक्षित हो, के साथ-साथ जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार सहमति/स्वीकृति प्रस्तुत करनी होगी : और अन्यथा विनिर्दिष्ट किए जाने तक उत्पाद को खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम, 1954 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार होना चाहिए। 1.3 इसके अलावा, वनस्पति के मामले में विनिर्माता को वनस्पति निदेशक, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1975 के उपबंधों का अनुपालन करना होगा। 1.4 उत्पाद पर महत्वपूर्ण घटकों की मौजूद मात्रा की सूची (C/o. W/W, या V/V) अवरोही क्रम में प्रदर्शित की जानी चाहिए। ऐसे घटकों की सूची को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अभिज्ञात किया जाएगा। 1.5 उत्पाद की पैकेजिंग में उस मानदंड को संक्षेप में प्रदर्शित किया जा सकता है जिसके आधार पर उत्पाद पर पर्यावरण अनुकूल लेबल लगाया गया है; 1.6 उत्पाद की पैकेजिंग सामग्री पुनःचक्रित (अर्थात् जिसे किसी अन्य उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए पुनःशोधित किया जा सकता है) या जैवनिम्नीकृत होनी चाहिए और पैकेजिंग के विशिष्ट मामले के संबंध में एस.एल.ई.एफ.पी. (पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग की स्कीम) के तहत विकसित मापदंड लागू होंगे। **2. विशिष्ट अपेक्षाएं :** (क)**खाद्य तेल** **श्रेणी 1 : कच्चा एवं रिफाइन्ड वनस्पति तेल-** 2.1 उत्पाद में 5पीपीबी से अधिक एफ्लाटॉक्सिन नहीं होना चाहिए। 2.2 उत्पाद में कीटनाशक अवशेष (यदि कोई हो), तो खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम, 1954 और इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं होने चाहिए। 2.3 विषाक्त धातु की सांद्रता (यदि कोई हो) निम्नलिखित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए : i. सीसा 5.0 पीपीएम

		ii. आर्सेनिक 0.5 पीपीएम iii. कैडमियम 1.0 पीपीएम iv. पारा 0.25 पीपीएम 2.4 खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम, 1954 में अनुमत एंटीऑक्सिडेंट्स का निर्दिष्ट मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए। 2.5 विनिर्माता द्वारा शेल्फ लाइफ घोषित की जानी चाहिए और इसे अंकित किया जाना चाहिए। **श्रेणी 2 : वनस्पति (हाइड्रोजनेटेड वनस्पति तेल)-** 2.1 उत्पाद में निकल की सांद्रता 0.5 भाग प्रति मिलियन से अधिक नहीं होना चाहिए। 2.2 उत्पाद हानिकर रसायनों से मुक्त होना चाहिए। 2.3 उत्पाद में कीटनाशक अवशेष (यदि कोई हो), तो खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम, 1954 और इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं होने चाहिए। 2.4 विषाक्त धातु की सांद्रता (यदि कोई हो) निम्नलिखित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए : i. सीसा 5.0 पीपीएम ii. आर्सेनिक 0.5 पीपीएम iii. कैडमियम 1.0 पीपीएम iv. पारा 0.25 पीपीएम 2.4 विनिर्माता द्वारा शेल्फ लाइफ घोषित की जानी चाहिए और इसे अंकित किया जाना चाहिए। 2.5 खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम, 1954 के तहत अनुज्ञेय एंटीऑक्सिडेंट्स ही, यदि आवश्यकता हो, उपयोग किया जाना चाहिए। (ख) **चाय** 2.1 उत्पाद स्पेंट टी लीव्स, ग्रिट, रेत, अन्य पौधों की पत्तियों जैसे मिलावट से मुक्त होना चाहिए। 2.2 उत्पाद में अप्राकृतिक सुगंध नहीं होगी और इसका विशिष्ट स्वाद होगा। 2.3 सीसे की मात्रा 6.5 पीपीएम से अधिक नहीं होगी। 2.4 उत्पाद में कोई अतिरिक्त रंग नहीं मिलाया जाएगा और कोई बाहरी स्वाद नहीं मिलाया जाएगा, तथापि, निर्यात के लिए खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार इसकी अनुमति दी जा सकती है। 2.5 उत्पाद में फफूंद नहीं लगना चाहिए। 2.6 उत्पाद में कीटनाशक अवशेष (यदि कोई हो), तो खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम, 1954 और इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं होने चाहिए।

		(ग) **कॉफी** 2.1 कॉफी बीन्स कीट, कवक और कृन्तकों के कारण संक्रमण से मुक्त होने चाहिए। 2.2 उत्पाद किसी भी बाहरी पदार्थ जैसे तार, पत्थर, गंदगी, लकड़ी, कांच और धातु के टुकड़ों से मुक्त होगा। 2.3 उत्पाद को किसी भी अतिरिक्त रंग, स्वाद से मुक्त होना चाहिए और यह बासी नहीं होना चाहिए तथा इसका विशिष्ट स्वाद होना चाहिए। 2.4 उत्पाद सिंहपर्णी और अन्य जड़ों, नेरॉन, अंजीर, खजूर, पत्थरों और अनाज जैसे मिलावट से मुक्त होगा। 2.5 उत्पाद में कीटनाशक अवशेष (यदि कोई हो), तो खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम, 1954 और इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं होने चाहिए।
8	पैकेजिंग सामग्री/ पैकेज	**भाग । कागज़ के बोर्ड एवं प्लास्टिक लैमिनेट्स को छोड़ कर** 1. **सामान्य अपेक्षाएं :** 1.1 विनिर्माता सभी पैकेजिंग सामग्री/पैकेज सुरक्षा, गुणवत्ता और निष्पादन से संबंधित बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) के प्रासंगिक मानकों, जहां लागू हो, को पूरा करेंगे। 1.2 ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय विनिर्माता को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत प्राधिकार, यदि अपेक्षित हो, के साथ-साथ जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अनुसार सहमति स्वीकृति प्रस्तुत करनी होगी : इसके अितरिक्त, विनिर्माता को, जहां भी आवश्यक हो, खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम, 1954 और इसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करना होना चाहिए। 1.3 उत्पाद की पैकेजिंग में उस मानदंड को संक्षेप में प्रदर्शित किया जा सकता है जिसके आधार पर उत्पाद पर पर्यावरण अनुकूल लेबल लगाया गया है; 1.4 पैकेजिंग सामग्री/पैकेज को उचित उपयोग और सुरक्षित निपटान की पद्धति संबंधी अनुदेशों के साथ बेचा जा सकता है ताकि उत्पाद के निष्पादन को अधिकतम और इसकी बर्बादी को न्यूनतम किया जा सके । 1.5 यदि पैकेज के अंदर की सामग्री ईकोमार्क के तहत शामिल नहीं की गई है, तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि केवल पैकेजिंग सामग्री/पैकेज पर ही ईकोमार्क लैबल लागू है। यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ईकामार्क, उत्पाद या पैकेजिंग सामग्री या दोनों पर लागू है। 2. **विशिष्ट अपेक्षाएं :** 2.1 कागज़ 2.1.1 कागज़ एवं कागज़ के बोर्ड से बनी पैकेजिंग सामग्री/पैकेज निम्नलिखित कच्चे माल से तैयार किए जाने चाहिए : (i)100 प्रतिशत रद्दी कागज़ या कृषि/औद्योगिक अपशिष्ट; (ii)बांस, ठोस लकड़ी, नरम लकड़ी और ईख के अलावा अन्य सामग्रियों से बने लुगदी के द्रव्यमान से न्यूनतम 60 प्रतिशत; (iii) खाद्य सामग्री की पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले कागज और कागज के

बोर्ड वर्जिन पल्प से निर्मित होंगे और डाइऑक्सिन से मुक्त होंगे। कागज की मुद्रित सतहें भोजन के संपर्क में नहीं आएंगी और कागज में भोजन के संपर्क में आने की संभावना वाले दूषित पदार्थों की अधिकतम मात्रा परिशिष्ट-I में दी गई विधियों के अनुसार परीक्षण किए जाने पर निम्नलिखित तालिका में दी गई सीमाओं से अधिक नहीं होगी

संदूषक	X	Y	Z **(मि.ग्रा. प्रति कि.ग्रा कागज में)**
कैडमियम (Cd)	-	0.5	0.5
क्रोमियम (Cr +6)	-	0.1	0.1
सीसा (Pb)	-	3.0	3.0
पारा (Hg)	-	0.3	0.3
पेंटाक्लोरोफेनॉल (PCP)	0.05	0.05	0.05
पोलीक्लोरिनेटिड बायफेनाइल्स (PCBs)	2.0	2.0	0.5

X: सूखे भोजन के संपर्क में आने की संभावना वाला कागज़।

Y:तरल युक्त और वसा युक्त सतह के भोजन के संपर्क में आने की संभावना वाला कागज़।

Z:फिल्ट्रेशन हेतु प्रयुक्त कागज़।

2.1. 2 कागज और कागज़ के बोर्ड पैकेजिंग सामग्री/पैकेज संगत भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे। पैकेजिंग सामग्री/पैकेज के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कागज और कागज़ के बोर्ड संगत भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे।

2.2 प्लास्टिक (लैमिनेट को छोड़कर)

2.2.1 खाद्य, औषधि, सौंदर्य प्रसाधन और पेयजल की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री/पैकेज प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे तथा उनका निर्माण ऐसे प्लास्टिक से किया जाएगा जो प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप हो।

2.2.2 गैर-खाद्य, गैर-औषधि, गैर-सौंदर्य प्रसाधन और गैर-पेयजल वस्तुओं की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त पैकेजिंग सामग्री का निर्माण पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक से किया जाएगा, जो कि भराव और सुदृढ़ीकरण एजेंटों के अलावा, संगत प्लास्टिक अपशिष्ट के भार का न्यूनतम 30% होगा।

भाग - II: **लेमिनेट और उसके उत्पाद**

1. सामान्य अपेक्षाएँ:

1.1 विशिष्ट उत्पाद के लिए उनकी प्रासंगिकता के आधार पर निम्नलिखित आवश्यकताएं लागू होंगी (बीआईएस द्वारा निर्णय लिया जाएगा)।

1.2 पैकेजिंग सामग्री/पैकेज के निर्माण के लिए नीचे उल्लिखित दो या अधिक सबस्ट्रेट्स वाले लैमिनेट्स और उनके उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के प्रासंगिक भारतीय मानकों को पूरा करेंगे

i. एलुमिनियम

IndiaCode

ii. जूट

iii. पेपर

iv. प्लास्टिक

1.3 पैकेजिंग सामग्री/पैकेज के निर्माता को ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अनुसार सहमति प्रस्तुत करनी होगी, साथ ही पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्राधिकरण, यदि आवश्यक हो, प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, जहां भी आवश्यक हो, निर्माता को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का भी अनुपालन करना होगा।

1.4 पैकेजिंग सामग्री/पैकेज पर संक्षेप में वह मानदंड प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर उसे पर्यावरण अनुकूल के रूप में लेबल किया गया है।

1.5 पैकेजिंग सामग्री/पैकेज को उचित भंडारण, उपयोग और सुरक्षित निपटान के तरीके के निर्देशों के साथ बेचा जा सकता है ताकि उत्पाद का प्रदर्शन अधिकतम हो और बर्बादी न्यूनतम हो।

1.6 यह भी उचित रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि इकोलेबल केवल पैकेजिंग सामग्री/पैकेज पर लागू होता है, यदि सामग्री को ईकोमार्क के अंतर्गत अलग से कवर नहीं किया गया है, जहां भी लागू हो। यह कहा जा सकता है कि ईकोमार्क उत्पाद या पैकेजिंग सामग्री/पैकेज या दोनों पर लागू होता है।

1.7 पैकेजिंग सामग्री/पैकेज तथा उस पर छपाई के लिए प्रयुक्त स्याही में भारी धातुएं, (पीबी के रूप में) जब इसका आईएस 4006 (भाग - III) : 1978 में दी गई विधि के अनुसार परीक्षण किया जाए तो 10 पीपीएम से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आर्सेनिक सामग्री आईएस 1060(भाग-II) : 1960 में दी गई विधि के अनुसार परीक्षण किए जाने पर 1.5 पीपीएम से अधिक नहीं होनी चाहिए

1.8 अंतिम उत्पाद के निर्माता द्वारा उत्पाद, प्रक्रिया और पैकेज की अनुकूलता, जिसमें उसके सबस्ट्रेट्स और चिपकाने वाले पदार्थ भी शामिल हैं, सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि उत्पाद (सामग्री) की गुणवत्ता, जहां भी लागू हो, उसके घोषित शेल्फ जीवन के अंत तक निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर बनी रहे। विनिर्माता को ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय इस आशय का प्रमाण पत्र या घोषणा के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा।

2. विशिष्ट अपेक्षाएँ:

2.1 लेमिनेट और उसके उत्पाद गैर-खाद्य प्रयोजनों के लिए पुनर्चक्रणीय या पुन: प्रयोज्य होने चाहिए, जिन्हें सहायक दस्तावेज/प्रमाणपत्र के साथ बीआईएस के समक्ष प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

2.2 खाद्य, औषधि, सौंदर्य प्रसाधन और पेयजल की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त लैमिनेट और उसके उत्पाद, इस प्रयोजन के लिए प्रासंगिक भारतीय मानक में निर्दिष्ट कच्चे माल से निर्मित किए जाएंगे।

2.3 गैस-द्रव क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा परीक्षण किए जाने पर लैमिनेट और उसके उत्पादों में कोई अवशिष्ट वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं होना

		चाहिए। 2.4 लेमिनेट और उसके उत्पादों में बहुत बेकार गंध नहीं होनी चाहिए।
9	इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रानिक सामान	**1. सामान्य अपेक्षाएं** 1.1 सभी निर्मित उत्पाद गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रदर्शन से संबंधित बीआईएस के निम्नलिखित भारतीय मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे: i. ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप आईएस 2418 (भाग - 1): 1977 ii. इलेक्ट्रिकल आयरन आईएस 366:1985 iii. स्टीम आयरन आईएस 6290:1986 iv. इमर्शन वॉटर हीटर आईएस 368:1983 v. इलेक्ट्रिक रेडिएटर IS 369:1983 vi. इलेक्ट्रिक स्टोव आईएस 2994:1986 vii. रेगुलेटर सहित सीलिंग पंखे आईएस 374:1979 viii. पेडेस्टल पंखे आईएस 1169:1967 ix. टेबल पंखे आईएस 555:1979 x. एग्जॉस्ट पंखे IS 2312:1967 xi. डेजर्ट कूलर आईएस 3315:1974 xii. गीजर आईएस 2082:1985 xiii. इलेक्ट्रिक टोस्टर आईएस 1287:1986 xiv. रेफ्रिजरेटर आईएस 1476:1979 xv. रंगीन टेलीविजन आईएस 10662:1992 xvi. ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न आईएस 4547:1992 xvii. फ़ूड मिक्सर्स आईएस 4250:1980 xviii. तात्कालिक जल हीटर आईएस 8978:1985 xix. इलेक्ट्रॉनिक पंखा रेगुलेटर IS 11037:1984 xx. घरेलू उपयोग के लिए मैन्युअल रूप से संचालित वोल्टेज रेगुलेटर आईएस 8447:1989 xxi. स्वचालित लाइन वोल्टेज सुधारक :IS 8448:1989 xxii. सर्वो मोटर संचालित लाइन वोल्टेज सुधारक :आईएस 9815:1989 xxiii. हॉट प्लेट्स आईएस 365:1983 xxiv. एकल चरण इलेक्ट्रिक मोटर आईएस 996:1979 1.2 उत्पाद निर्माता को ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 तथा वायु (प्रदूषण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अनुसार सहमति प्रस्तुत करनी होगी, साथ ही पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत यदि आवश्यक हो तो प्राधिकरण भी प्रस्तुत करना होगा।

IndiaCode

		1.3 उत्पाद पर, जहां भी लागू हो, महत्वपूर्ण घटकों/चेतावनी नोटों की सूची प्रदर्शित की जानी चाहिए, जिसका निर्णय बीआईएस द्वारा किया जाएगा। 1.4 उत्पाद पैकेजिंग पर संक्षेप में उन मानदंडों को प्रदर्शित किया जा सकता है, जिनके आधार पर उत्पाद को पर्यावरण अनुकूल लेबल किया गया है। 1.5 उत्पाद को उचित उपयोग के निर्देशों के साथ बेचा जा सकता है, ताकि उत्पाद का प्रदर्शन अधिकतम हो, बर्बादी न्यूनतम हो तथा प्रयुक्त उत्पाद का सुरक्षित निपटान हो सके। 1.6 उत्पाद पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त सामग्री पुनर्चक्रणीय या बायोडिग्रेडेबल होगी। 1.7 घरेलू विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर्यावरण) संरक्षण (अधिनियम, 1986) के अंतर्गत समय-समय पर व्यक्तिगत उपकरण, यदि कोई हो, के लिए अधिसूचित ध्वनि स्तर के अनुरूप होंगे। 2. **विशिष्ट अपेक्षाएं:** **2.1** टेलीविजन (रंगीन और ब्लैक एंड व्हाइट) 2.1.1. विनिर्माण संयोजन के दौरान सफाई के उद्देश्य के लिए सीएफसी और अन्य सुगंधित-हैलोजनयुक्त हाइड्रोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाएगा। 2.1.2 रंगीन टेलीविजन से विद्युत चुम्बकीय विकिरण, IS 4546:1983 में निर्धारित परीक्षण के अनुसार, IS 6842:1977 में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। 2.1.3 रंगीन और ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन रिसीवरों के लिए वाट में निर्धारित अधिकतम विद्युत खपत नीचे निर्दिष्ट अनुसार होगी: i. सीटीवी - 53 सेमी तक के स्क्रीन आकार के लिए 75 वॉट; और 53 सेमी से अधिक स्क्रीन आकार के लिए 100 वॉट। ii. ब्लैक एंड व्हाइट टीवी - 36 सेमी से अधिक लेकिन 51 सेमी से कम स्क्रीन आकार के लिए 50 वॉट; और 51 सेमी और उससे अधिक स्क्रीन आकार के लिए 75 वॉट" 2.2 **विद्युत उपकरणों के लिए ऊर्जा दक्षता/कम बिजली खपत** 2.2.1 उत्पाद में ऊर्जा दक्षता में कम से कम 5 प्रतिशत सुधार या प्रासंगिक भारतीय मानकों में निर्धारित सीमा के अतिरिक्त बिजली की खपत में 5 प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले उपकरण इस खंड के तहत ईकोमार्क के लिए पात्र होंगे। ऐसे मामले में जहां भारतीय मानकों में ऊर्जा दक्षता और विद्युत खपत दोनों निर्दिष्ट किए गए हैं, ईकोमार्क मानदंड उन्नत ऊर्जा दक्षता पर आधारित होंगे। हालाँकि, ऐसे मामलों में जहां ऊर्जा दक्षता और पावर फैक्टर का गुणनफल निर्दिष्ट किया गया है, निर्दिष्ट सीमा में 5 प्रतिशत सुधार ईकोमार्क के लिए मानदंड होगा। 2.3 **विद्युत प्रकार के पंखा विनियामक, मैनुअल संचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर और सर्वो मोटर संचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर।** 2.3.1 उत्पाद में कम से कम 96 प्रतिशत ऊर्जा दक्षता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के पंखा विनियामकों के मामले में, संबंधित भारतीय मानक के साथ-साथ खंड 1 के तहत निर्धारित सामान्य आवश्यकताओं का अनुपालन, उन्हें ईकोमार्क के तहत विचार करने के लिए पर्याप्त है।

		2.4 ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप 2.4.1 36 वाट (38 मिमी व्यास वाले फ्लोरोसेंट ट्यूब के लिए 40 वाट के स्थान पर) और 18 वाट (38 व्यास वाले फ्लोरोसेंट ट्यूब के लिए 20 वाट के स्थान पर) रेटेड विद्युत खपत वाली स्लिम लाइन फ्लोरोसेंट ट्यूब को ईकोमार्क के लिए विचार में लिया जाएगा।
10	खाद्य योज्य	**1. सामान्य अपेक्षाएँ:** 1.1 पेय पदार्थ, शिशु आहार और प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पादों के सभी उत्पाद गुणवत्ता से संबंधित बीआईएस के प्रासंगिक मानकों को पूरा करेंगे। 1.2 उत्पाद निर्माता को ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत आवश्यक होने पर प्राधिकरण के साथ-साथ जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 और वायु (प्रदूषण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अनुसार सहमति प्रस्तुत करनी होगी और उत्पाद खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप भी होना चाहिए। 1.2 उत्पाद पैकेजिंग पर संक्षेप में उन मानदंडों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए जिनके आधार पर उत्पाद को पर्यावरण अनुकूल लेबल किया गया है। 1.3 उत्पाद पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री पुनर्चक्रण योग्य या बायोडिग्रेडेबल होगी 1.5 विनिर्माण की तारीख और समाप्ति की तारीख निर्माता द्वारा उत्पाद पैकेज पर घोषित की जाएगी। 1.6 उत्पाद पैकेज या उसके साथ दिए गए पत्रक पर उचित उपयोग और भंडारण के निर्देश प्रदर्शित किए जाने चाहिए ताकि उत्पाद का प्रदर्शन और सुरक्षा अधिकतम हो और बर्बादी न्यूनतम हो। **2. विशिष्ट अपेक्षाएँ:** 2.1 2.1 पेय पदार्थ: आईएस 2346:1992 कार्बोनेटेड पेय पदार्थ आईएस 13019:1991 घरेलू उपयोग के लिए गैर-अल्कोहल पेय आधार (सांद्रित)। 2.1.1 उत्पाद में आर्सेनिक की मात्रा 0.1 पीपीएम से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2.1.2 उत्पाद के मेटल कैप के अंदर उपयोग की जाने वाली सामग्री खाद्य ग्रेड प्लास्टिक के प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप होगी। कैप्स और क्लोजर को लेबल के रूप में नहीं माना जाएगा। 2.1.3 फलों के रस के गूदे का प्रतिशत, यदि कोई मिलाया गया हो, उत्पाद पैकेज पर उल्लिखित किया जाएगा। 2.1.4 उत्पाद निर्माण में कोई सिंथेटिक रंग और कृत्रिम स्वीटनर नहीं मिलाया जाएगा या उपयोग नहीं किया जाएगा। 2.2 शिशु आहार: आईएस 1547:1985 शिशु दुग्ध आहार

		आईएस 1656:1985 दूध अनाज आधारित दूध छुड़ाने वाला भोजन आईएस 11156:1985 शिशु सूत्र आईएस 13471:1992 कम वसा वाला शिशु फार्मूला आईएस 6387:1987 दूध के साथ वनस्पति प्रोटीन शिशु आहार 2.2.1 उत्पाद में आर्सेनिक की मात्रा 0.1 पीपीएम से अधिक नहीं होनी चाहिए 2.2.2 उत्पाद के मेटल कैप के अंदर उपयोग की जाने वाली सामग्री खाद्य ग्रेड प्लास्टिक के प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप होगी। कैप्स और क्लोजर को लेबल के रूप में नहीं माना जाएगा। 2.2.3 फलों के रस के गूदे का प्रतिशत, यदि कोई मिलाया गया हो, उत्पाद पैकेज पर उल्लिखित किया जाएगा। 2.2.4 उत्पाद निर्माण में कोई सिंथेटिक रंग और कृत्रिम स्वीटनर नहीं मिलाया जाएगा या उपयोग नहीं किया जाएगा। 2.2.5 उत्पाद एफ्लाटॉक्सिन से मुक्त होगा। 2.3 पेय पदार्थों को छोड़कर प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पाद: (i) डिब्बाबंद फल और सब्जियां: आईएस 2867:1964 डिब्बाबंद आम आईएस 2868:1964 डिब्बाबंद अनानास आईएस 2869:1964 डिब्बाबंद नारंगी खंड आईएस 3445:1965 डिब्बाबंद मटर आईएस 3246:1965 डिब्बाबंद भिन्डी (भिन्डी) आईएस 3247:1976 डिब्बाबंद करेला (करेला) आईएस 3248:1992 डिब्बाबंद टमाटर आईएस 3500:1966 आम की चटनी आईएस 3501:1966 अचार आईएस 8786:1978 टमाटर सॉस में डिब्बाबंद भिंडी आईएस 9789:1981 डिब्बाबंद खुबानी आईएस 9790:1981 डिब्बाबंद फ्रेंच बीन्स आईएस 9791:1981 डिब्बाबंद टिंडा आईएस 9811:1981 डिब्बाबंद पालक आईएस 9822:1981 डिब्बाबंद परवल आईएस 9823:1981 डिब्बाबंद आलू आईएस 10252:1982 नमकीन पानी में डिब्बाबंद गाजर आईएस 10253:1982 सिरप में डिब्बाबंद पपीता आईएस 13474:1993 नमकीन पानी में डिब्बाबंद हरी मिर्च (ii) निर्जलित फल और सब्जियां

IndiaCode

		आईएस 4452:1967 निर्जलित प्याज आईएस 4624:1987 निर्जलित मटर आईएस 4625:1968 निर्जलित गाजर आईएस 4626:1978 निर्जलित आलू आईएस 4627:1968 निर्जलित गोभी आईएस 4628:1978 निर्जलित भिंडी (भिंडी) आईएस 5452:1992 निर्जलित लहसुन आईएस 9486:1980 निर्जलित हरी मिर्च (iii) जैम, जेली और मुरब्बा आईएस 5861:1992 जैम, जेली और मुरब्बा (iv) रस और सांद्रण आईएस 3547:1976 आम अमृत आईएस 3880:1976 डिब्बाबंद आम का गूदा आईएस 3881:1966 टमाटर का रस आईएस 3882:1966 टमाटर केचप आईएस 3883:1993 टमाटर प्यूरी आईएस 3884:1993 टमाटर का पेस्ट आईएस 4935:1968 सिंथेटिक सिरप आईएस 4936:1968 फ्रूट स्क्वैश आईएस 5800:1970 संतरे का रस आईएस 7732:1975 सेब का रस आईएस 8713:1978 आम का रस 2.3.1 उत्पादों में भारी धातु संदूषकों की सीमा भारतीय मानकों के अनुसार या कोडेक्स मानकों के अनुसार होगी और जो भी कम हो वह लागू होगी। ऐसे संदूषकों की सूची की पहचान बीआईएस द्वारा की जाएगी।
11	लकड़ी के विकल्प	1. **सामान्य अपेक्षाएँ** : 1.1 विनिर्मित उत्पाद सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रदर्शन से संबंधित बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) के प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए। ये उत्पाद विनिर्माता को ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 तथा वायु (प्रदूषण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अनुसार सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा, साथ ही यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्राधिकार भी प्रस्तुत करना होगा, जो वन विभाग के लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हो। 1.2 उत्पाद या उत्पाद पैकेजिंग पर संक्षेप में वह मानदंड प्रदर्शित किया जा सकता है जिसके आधार पर उत्पाद को पर्यावरण अनुकूल लेबल किया गया है। 1.3 उत्पाद पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त सामग्री पुनर्चक्रणीय, पुनः प्रयोज्य अथवा

IndiaCode

		जैवनिम्नीकरणीय होगी। 2. **विशिष्ट अपेक्षाएँ**: 2.1 **ईंधन-लकड़ी के विकल्प**: 2.1.1 ब्रिकेट को कृषि और लकड़ी के अवशेषों (जैसे चूरा) और घरेलू कचरे (जैसे कचरा) से सिंथेटिक बाइंडरों के बिना औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए बनाया जाएगा। ऐसे ब्रिकेट किसी भी अपशिष्ट पदार्थ से निर्मित नहीं किए जाएंगे जिसमें खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1989 के तहत विनिर्दिष्ट कोई खतरनाक घटक शामिल हों। 2.2 **लकड़ी की विनिर्माण सामग्री के विकल्प** 2.2.1 आम तौर पर पार्टीशन करने के लिए, पैनलिंग, क्लैडिंग और फाल्स सीलिंग के रूप में उपयोग किए जाने वाले बिल्डिंग बोर्ड, कृषि या औद्योगिक अपशिष्टों (जैसे फॉस्फो-जिप्सम, लाल मिट्टी, बैगेज, कपास के डंठल, चावल की भूसी, कॉयर फाइबर, सिसल फाइबर या लकड़ी के अवशेष आदि) या प्राकृतिक वनों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त लकड़ी या अलग से अधिसूचित पर्यावरण अनुकूल प्लास्टिक से बनाए जाएंगे। 2.2.2 भवनों में उपयोग किए जाने वाले दरवाजे और खिड़कियों के फ्रेम और शटर, कृषि या औद्योगिक अपशिष्टों या लकड़ी के अवशेषों या प्राकृतिक वनों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त लकड़ी या ऊपर 2(ii)(क) में विनिर्दिष्ट फेरोसीमेंट या बिल्डिंग बोर्ड या अलग से अधिसूचित पर्यावरण अनुकूल प्लास्टिक या प्रबलित सीमेंट कंक्रीट से बने फ्रेम से बनाए जाएंगे। 2.3 **फर्नीचर में लकड़ी के विकल्प** 2.3.1 फर्नीचर (टेबल, कुर्सियां और स्टूल आदि) कृषि या औद्योगिक अपशिष्ट या लकड़ी के अवशेषों या प्राकृतिक वनों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त लकड़ी या ऊपर 2(ii)(क) में विनिर्दिष्ट बिल्डिंग बोर्डों या अलग से अधिसूचित पर्यावरण अनुकूल प्लास्टिक से बनाए जाएंगे।
12	एरोसोल प्रणोदक	1. सामान्य अपेक्षाएँ: 1.1 एरोसोल उत्पादों में उपयोग किए जाने वाले प्रणोदक सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रदर्शन से संबंधित बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) के प्रासंगिक मानकों को के अनुरूप होने चाहिए। विनिर्माता को ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अनुसार सहमति मंजूरी प्रस्तुत करनी होगी, साथ ही पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्राधिकार भी प्रस्तुत करना होगा। 1.2 उत्पाद पैकेज पर यह उपयुक्त रूप से अंकित किया जाएगा कि ईकोमार्क लेबल केवल एरोसोल स्प्रे में प्रयुक्त प्रणोदकों पर ही लागू होगा, यदि उत्पाद पैकेज ईकोमार्क योजना के अंतर्गत अलग से शामिल नहीं किया गया है। 1.3 उत्पाद पैकेज या उसके साथ दिए गए पत्रक पर उचित उपयोग, भंडारण और निपटान के निर्देश प्रदर्शित किए जा सकते हैं ताकि उत्पाद का प्रदर्शन, सुरक्षा अधिकतम हो और बर्बादी न्यूनतम हो। 1.4 उत्पाद पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त सामग्री पुनर्चक्रणीय या जैवनिम्नीकरणीय सामग्री से बनी होगी। 2. **विशिष्ट अपेक्षाएँ**:

		2.1 एरोसोल प्रणोदकों में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत अभिज्ञात किए गए और एरोसोल उद्योग से संबंधित कोई भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ (ओडीएस) नहीं होने चाहिए।
13	प्लास्टिक उत्पाद	1. सामान्य **अपेक्षाएँ**: 1.1 प्लास्टिक के सभी उत्पाद गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रदर्शन से संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो के प्रासंगिक मानकों को पूरा करेंगे। ये उत्पाद विनिर्माता को ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार सहमति मंजूरी प्रस्तुत करनी होगी, साथ ही पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आवश्यक होने पर प्राधिकार भी प्रस्तुत करना होगा। प्लास्टिक की वस्तुओं के विनिर्माताओं को, जहां भी आवश्यक हो, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत विनियमन के अनुपालन के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। 1.2 इस उत्पाद में महत्वपूर्ण अवयवों की सूची अवरोही क्रम में प्रदर्शित की जानी चाहिए, जो कुल मात्रा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की गई हो। ऐसे अवयवों की सूची भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अभिज्ञात की जाएगी। 1.3 इस उत्पाद पैकेजिंग पर संक्षेप में उन मानदंडों को प्रदर्शित किया जा सकता है जिनके आधार पर उत्पाद को पर्यावरण अनुकूल लेबल किया गया है। 1.4 इस उत्पाद पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री पुनर्चक्रणीय या जैवनिम्नीकरणीय होनी चाहिए। यह भी उचित रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि ईकोमार्क लेबल केवल पैकेजिंग सामग्री/पैकेज पर लागू होता है यदि सामग्री अलग से ईकोमार्क के अंतर्गत नहीं आती है। यह कहा जा सकता है कि ईकोमार्क उत्पाद या पैकेजिंग सामग्री या दोनों पर लागू होता है। 2. विशिष्ट **अपेक्षाएँ**: 2.1 **खाद्य, दवा और पेयजल ग्रेड प्लास्टिक उत्पाद** 2.1.1 इन वस्तुओं के विनिर्माण के लिए निम्नलिखित भारतीय मानकों में शामिल एक या अधिक उपयोग नहीं की गई वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा: i. आईएस 10142 :1982 ii. आईएस 10151:1982 iii. आईएस 10910:1984 iv. आईएस 11434:1985 v. आईएस 11704:1986 vi. आईएस 12247:1988 vii. आईएस 12252:1987 2.2 **पुनर्चक्रित प्लास्टिक उत्पाद** इस श्रेणी में निम्नलिखित उप-श्रेणियों में परिभाषित सभी प्लास्टिक उत्पाद शामिल हैं: i. बागवानी की आपूर्ति। ii. कंटेनर उत्पादन ।

		iii. कार्यालयों में आपूर्ति। iv. गैर-खाद्य कंटेनर। v. मनोरंजन उपकरण और फर्नीचर। vi. निर्माण सामग्री। बागवानी आपूर्ति में बागवानी गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण, कंटेनर और सहायक संरचनाएं शामिल हैं, जैसे फूलों के गमले, बगीचे के डंडे और बेरी ट्रे। उत्पाद कंटेनरों में कृषि उत्पादों जैसे अंडे, फल और सब्जियों के कंटेनर शामिल हैं। कार्यालय आपूर्ति में कार्यालयों में उपयोग के लिए सभी उपकरण, कंटेनर और सहायक संरचनाएं शामिल हैं जैसे कि प्रेजेंटेशन फोल्डर, फाइल फोल्डर और बाइंडर कवर। गैर-खाद्य कंटेनर, जो सामग्री रखने के लिए नहीं हैं, में गैर-खाद्य उत्पादों के सभी कंटेनर शामिल हैं, जैसे डिटर्जेंट की बोतलें, पैलेट और पुन: प्रयोज्य पैकेजिंग कंटेनर। मनोरंजनात्मक उपकरण और फर्नीचर में मनोरंजनात्मक बाजार के लिए डिजाइन किए गए सभी उपकरण और सहायक संरचनाएं शामिल हैं, जैसे खेल के मैदान के उपकरण और आँगन की मेजें। निर्माण सामग्री में संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्रियां शामिल हैं, चाहे वे स्थिर हों या परिवहन योग्य, जैसे लकड़ी, बाड़ या शिंगल्स। 2.2.1 उप-श्रेणियों 2.2(i) से 2.2(v) में अभिज्ञात गए प्लास्टिक उत्पाद, भराव और सुदृढ़ीकरण एजेंटों के अलावा, वजन के हिसाब से न्यूनतम 90 प्रतिशत संगत प्लास्टिक अपशिष्ट से बनाए जाएंगे। 2.2.2 उप-श्रेणी 2.2(vi) में पहचाने गए प्लास्टिक उत्पाद, भराव और सुदृढ़ीकरण एजेंटों के अलावा, वजन के हिसाब से न्यूनतम 60 प्रतिशत या संगत प्लास्टिक अपशिष्ट से बने होंगे।
14	वस्त्र	1. **सामान्य अपेक्षाएँ**: 1.1 ये विनिर्मित सभी वस्त्र उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो के प्रासंगिक मानकों के अनुरूप होने चाहिए। उत्पाद विनिर्माता को ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के अनुसार सहमति मंजूरी प्रस्तुत करनी होगी, साथ ही पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्राधिकार भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, विनिर्माता को कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि स्तर और व्यावसायिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन पर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। 1.2 उत्पाद पैकेजिंग पर संक्षेप में उन मानदंडों को प्रदर्शित किया जा सकता है जिनके आधार पर उत्पाद को पर्यावरण अनुकूल लेबल किया गया है। 1.3 उत्पाद पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त सामग्री पुन: प्रयोज्य होगी या पुनर्चक्रणीय या जैवनिम्नीकरणीय सामग्रियों से बनी होगी। 1.4 जहां भी आवश्यक हो, वसायुक्त अल्कोहल आधारित गैर-आयनिक पायसीकारक का उपयोग किया जाना चाहिए। 1.5 पॉलीहैलोजेनेटेड आधारित फेनोलिक अग्निरोधी का उपयोग नहीं किया जाएगा।

2. **विशिष्ट अपेक्षाएँ**:

क.	कपास, ऊन, मानव निर्मित फाइबर और मिश्रण			
क्र. सं.	पैरामीटर*	अधिकतम सीमा, मिलीग्राम/किग्रा (पीपीएम)		
		शिशु	त्वचा के करीब	बाहरी
		वस्त्र		कपड़े
1	2	3	4	5
1)	**मुक्त रिलीज करने योग्य फॉर्मेल्डिहाइड**	20	75	300
2)	**निकालने योग्य कृत्रिम पसीना/साल्विया भारी धातु पारा**	0.1	0.1	0.1
3)	**क्रोमियम III**	0.1	0.1	0.1
4)	**क्रोमियम VI**	**शून्य**	**शून्य पता लगाने योग्य सीमा से नीचे**	**शून्य**
5)	**योग पैरामीटर (सीसा के रूप में)**	10.0	10.0	10.0
6)	**पेंटाक्लोरोफेनॉल (पीसीपी)**	0.5	0.5 (GC.MS का उपयोग करके पता लगाने योग्य सीमा)	0.5
7)	**वाष्पशील हाइड्रोकार्बन (गैर हैलोजन)**	150	150	150
8)	**वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ हैलोजनयुक्त**	200	200	200
9)	**कीटनाशक (योग पैरामीटर)**	1.0	1.0	1.0
10)	**प्रतिबंधित कीटनाशक**	**शून्य**	**शून्य (पता लगाने योग्य सीमा से**	**शून्य**

IndiaCode

				नीचे)		
		11)	**जलीय अर्क का** pH	4.0-7.5	4.0-7.5	4.0-7.5
		12)	**एज़ो-डाई से निकलने वाले युग्मित अमीन (योग पैरामीटर)** ***	50	50 (जीसी-एमएस का उपयोग करके पता लगाने योग्य सीमा	50

ख	**जूट और जूट उत्पाद**		
क्र. सं.	**पैरामीटर***	**अधिकतम सीमा, मिलीग्रामकिलोग्राम/**	
		घरेलू वस्त्र एवं परिधान	**हैसियन्स तथा सोकिंग्स**
1	2	3	4
1)	मुक्त और रिलीजेबल फार्मेल्डिहाइड		
	त्वचास्पर्शी	75	लागू नहीं
	बाहरी कपड़े	300	लागू नहीं
2)	निष्कर्वीय कृत्रिम स्वेट सलिवा/		
	भारी धातु		
	पारा	0.1	लागू नहीं
	क्रोमियम III	0. 1	लागू नहीं
	क्रोमियम vi	शून्य (अभिज्ञात सीमा से नीचे)	
	सम पैरामीटर लीड के रूप) (में	10.0	लागू नहीं
3)	गैर हैलोजनेटेड हाईड्रोकार्बन	लागू नहीं	
4)	वसायुक्त एस्टर आधारित तेल	2 प्रतिशत	लागू नहीं
5)	कीटनाशक पैरामीटर)**	1.0	1.0
	प्रतिबंधित कीटनाशक	शून्य पता लगाने योग्य) (सीमा से नीचे	शून्य
6)	जलीय अर्क का पीएच.	6.0-7. 0	6.0-7.0
7)	एजोडाईज से उत्पन्न - सम) युग्मित ऐमीनों	50	50(जीसी-का (एमएस

IndiaCode

			(पैरामीटर		उपयोग करके	
		ग.	रेशम और रेशम उत्पाद			
		क्र. सं.	**पैरामीटर**	**अधिकतम सीमा, मिलीग्राम ग्राम.कि/ पीपीएम))**		
				बच्चों के कपड़े	त्वचास्पर्शी	बाहरी कपड़े
		1	2	3	4	5
		1)	मुक्त एवं मुक्त करने योग्य फोर्मेल्डिहाइड	20	75	300
		2)	निकालने योग्य साल्विया भारी /पसीना) पारा /धातुएं	0.1	0.1	0.1
			क्रोमियमIII	0.1	0.1	0.1
			क्रोमियमVI	शून्य	से नीचे	शून्य
			सम पैरामीटरलीडके रूप) (में10.0	10.0	10.0	10.0
		3)	पेंटाक्लोरोफेनॉल(पीसीपी)	0.5	-जीसी) एमएस के प्रयोग द्वारा अभिज्ञात (सीमा	0.5
		4)	वाष्पशील हाइड्रोकार्बन 150(गैर- हैलोजनी(	150	150	150
		5)	कीटनाशक सम पैरामीटर**(	0.1	0.1	0.1
			प्रतिबंधित कीटनाशक	शून्य	से नीचे	शून्य
		6)	एजोडाईज मापदंडों से - जलीयतत्व का पीएच सम) (***(पैरामीटर)	4.0-7.5	4.0-7. 5 (जीसी-एमएस का उपयोग करके अभिज्ञात सीमा)	4.0-7.5
15	अग्निशामक यंत्र	1. **सामान्य अपेक्षाएं** : • बीआईएस मानक चिह्न वाला कोई भी अग्निशामक यंत्र ईकोमार्क के लिए विचारणीय है। वहनीय और मोबाइल अग्निशामक यंत्रों के लिए बीआईएस मानक				

IndiaCode

निम्नलिखित हैं:

आईएस 940:1989	वहनीय अग्निशामक जलीय रूप में(गैस कार्ट्रिज)
आईएस 2171:1985	वहनीय अग्निशामक सूखे पाउडर के रूप में (कार्ट्रिज)
आईएस 2878:1986	अग्निशामक कार्बन डाईऑक्साइड के रूप में वहनीय एवं) (ट्रॉली युक्त
आईएस 6234: 1986	वहनीय अग्निशामक जलीय रूप में (संग्रहित दाब)
आईएस 10204:1982	अग्निशामक मकेनिकल फोम के रूप में
आईएस 10658:1983	उच्च क्षमता वाले सूखा पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र ट्रॉली) (युक्त
आईएस 11833:1986	धात्विक अग्नि के लिए सूखा पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र
आईएस 13385:1992	लीटर 50पहिये युक्त जल रूपी अग्निशामक यंत्रो की विशिष्टताएं (गैसकार्टिज)
आईएस 13386: 1992	लीटर मैकेनिकल फोम प्रकार के अग्निशामक 50यंत्रों के लिए विशिष्टताएं
आईएस 13849:1993	वहनीय अग्निशामक सूखे पाउडर के रूप(स्थिर दाब)

1.2 उत्पाद निर्माता को ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय को क्रमशः जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार सहमति मंजूरी प्रस्तुत करनी होगी, साथ ही यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत प्राधिकार भी प्रस्तुत करना होगा ।

1.3 उत्पाद पर संक्षेप में उन मानदंडों को प्रदर्शित किया जा सकता है जिनके आधार पर उत्पाद को ईकोमार्क प्रदान किया गया है।

1.4 उत्पाद को उचित उपयोग के निर्देशों के साथ बेचा जाए ताकि वैधानिक चेतावनी, यदि कोई हो, अपशिष्ट को न्यूनतम करने और सुरक्षित निपटान की विधि सहित उत्पाद की बिक्री को अधिकतम बढ़ाया जा सके।

1.5 उत्पाद पैकेजिंग (रिफिल को छोड़कर) के लिए प्रयुक्त सामग्री पुनर्चक्रणीय, पुनरुपयोग के योग्य या जैव-अवक्रमणीय होगी।

1.6 उत्पाद में महत्वपूर्ण अवयवों की सूची, भार के प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में प्रदर्शित होनी चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण अवयवों की सूची भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अभिज्ञात की जाएगी।

2. **विशेष अपेक्षाएं**:

2.1 मॉन्ट्रियल प्रोटोकोल के अधीन अग्निशामक उद्योग से संबंधित अग्निशामक यंत्रों में

<table>
<tr><td></td><td></td><td>कोई भी ओजोन परत को ह्रास करने वाले तत्व (ओडीएस) नहीं होना चाहिए।

2.2 गैस आधारित अग्निशामक पदार्थ का एक बार वायुमंडल में विसर्जन के पश्चात उसका वायुमंडलीय जीवनकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

2.3 इस्तेमाल किए गए रसायन ग्लोबल वार्मिंग न करते हैं।

2.4 अग्निशामक यंत्रों का धात्विक ढांचा और अन्य धात्विक भाग सीसा या सीसा मिश्रधातु से मुक्त होने चाहिए।

2.5 धातु भाग के लिए प्रयुक्त कोटिंग पारा और पारा यौगिक या पारा, कैडमियम, क्रोमियम VI और उनके ऑक्साइड के पिग्मेंट रंग वाला नहीं होना चाहिए । कच्चे माल में निहित प्राकृतिक अशुद्धियाँ या उत्पादन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न अशुद्धियाँ (भार के अनुसार 0.1 प्रतिशत तक) इसमें शामिल नहीं की गई हैं।</td></tr>
<tr><td>16</td><td>तैयार चमड़ा</td><td>1. सामान्य अपेक्षाएं :

1.1 विनिर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो से ईकोमार्क प्रमाणीकरण के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत सहमति स्वीकृति के साथ-साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत, यदि आवश्यक हो, परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.2 उत्पाद पैकेजिंग पर संक्षिप्त में वे मापदण्ड उल्लिखित होंगे जिनके आधार पर उत्पाद को पर्यावरण अनुकूल लेबल प्रदान किया गया है।

1.3 उत्पाद पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री पुनर्चक्रण योग्य या पुनरुपयोग योग्य या जैव-अवक्रमणीय होगी।

2. विशेष अपेक्षाएं:
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>पैरामीटर</th><th>सीमाएं</th><th>परीक्षण विधि, अनुसार</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>चमड़े के जलीय तत्व का पी.एच.</td><td>3.5 से कम नहीं और यदि 3.5 से कम है तो 10 (समीकरण संख्या)के घटक द्वारा घोलेने पर ही पीएच का अंतर 0.6 से अधिक नहीं होना चाहिए!</td><td>एलसी:18
आईएस 582: 1970</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>फॉर्मलाहाइड, मिलीग्राम .क्रिग्रा / अधिकतम</td><td>200</td><td>**</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>पेंटाक्लोरोफेनोल (पीसीपी), मिलीग्रामक्रिग्रा/, अधिकतम</td><td>5#</td><td>आईएस 14575:1998</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>एजो-रंजक (सम पैरामीटर) *** से निकली एरिल एमेनीज मिलीग्राम/किग्रा,</td><td>30#</td><td>**</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		5.	हेक्सावलेंट क्रोमियम, मिलीग्राम/क्रिग्रा, अधिकतम	3	**
17	जूट और जूट के उत्पाद	1. **सामान्य अपेक्षाएं:** 1.1 उत्पाद निर्माताओं को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा तैयार प्रासंगिक भारतीय मानकों में निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करना होगा: **क) जूट रेशा** i. आईएस 898 - विनिर्देश के लिए उपयोगवधि पूर्ण जूट रेशा (दूसरा दोहराव) ii. आईएस 9308 (भाग 1 से 3) - यांत्रिक रूप से निकाले गए जूट रेशों के लिए विनिर्देश (पहला संशोधन) iii. आईएस 9308 (भाग 4) - यांत्रिक रूप से निकाले गए जूट रेशे भाग 4 मशीन ट्विस्टेड कर्ल्ड के लिए विनिर्देश जूट रेशे **ख) जूट उत्पाद** i. आईएस 11420 (भाग 1 से 9) - कॉयर मैट के लिए विनिर्देश भाग 1 सामान्य आवश्यकताएं भाग 2 गलियारे मैट भाग 3 दरवाज़े की मैट - क्रील, बिट और फाइबर भाग 4 दरवाज़े की मैट - छड़ भाग 5 जिमनासिया मैट भाग 6 लूप मैट भाग 7 जाल मैट भाग 8 रस्सी मैट (लवर्स नॉट मैट) भाग 9 सिननेट मैट ii आईएस 12503 (भाग 1 से 6) - कॉयर - चटाई, मूरज़ौक्स और कालीन भाग 1 सामान्य **अपेक्षाएं:** भाग 2 नारियल की चटाई भाग 3 रिब्ड कॉयर मैटिंग्स भाग 4 जूट mourzouks भाग 5 जूट की कालीन भाग 6 जूट चटाई के लिए क्रिकेट पिच iii आईएस 14596 - हाथों से बने हुए नारियल के रेशे के उत्पाद -2- प्लाई के नारियल के रेशे के धागे विनिर्देशन iv आईएस 15340 - जूट अनुभव किया- विनिर्देश v आईएस 15869 - वस्त्र - खुला बुनना जूट भूवास्त्र – विनिर्देश			

IndiaCode

vi आईएस 1410 - वस्त्र — जूट रस्सियों — विनिर्देश (तीसरा संशोधन)

vii आईएस 16338 - रेशा रस्सियों – जूट रस्सी के लिए पीछे चल कूदना वाइंस विनिर्देश

ग) जूट मज्जा (भारतीय मानक पर विषय है अल्प विकास)

d) **रबरीकृत जूट**:

i आईएस 8391 - विनिर्देश के लिए रबर कॉयर पत्रक कुशनिंग के लिए (प्रथम संशोधन)

ii आईएस 11060 - विनिर्देश के लिए ढलवा रबरीकृत जूट से बनी गद्दी

ङ) जूट कम्पोजिट बोर्ड:

i आईएस 14842 - सामान्य प्रयोजन के लिए जूट पोशिश बोर्ड -विनिर्देश

ii आईएस 15491 - मध्यम घनत्व कॉयर बोर्डों के लिए सामान्य प्रयोजनों - विनिर्देश

iii आईएस 15877 - जूट का सामना करना पड़ा अवरोध पैदा करना बोर्डों - विनिर्देश

iv आईएस 15878 - जूट हार्डबोर्ड के लिए सामान्य प्रयोजनों – विशिष्टता

1.2 ईकोमार्क के लिए आवेदन करते समय उत्पाद निर्माताओं को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों और यथाप्रयोज्य पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित नियमों के अंतर्गत यथा-अपेक्षित प्राधिकार(ओं) के अनुसार सहमति मंजूरी प्रस्तुत करनी होगी।

1.3 उत्पाद(उत्पादों) या उत्पाद पैकेजिंग(पैकेजों) में वे मानदंड संक्षेप में प्रदर्शित किए जा सकते हैं, जिनके आधार पर उत्पादों को पर्यावरण अनुकूल लेबल किया गया है।

1.4 उत्पाद पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री पुनर्चक्रणीय, पुनरुपयोग योग्य, या जैव-अवक्रमणीय होनी चाहिए।

2. **विशेष अपेक्षाएं**:

क्र. सं.	पैरामीटर	कॉयर फाइबर	कॉयर उत्पाद	कॉयर पिथ	रबरीकृत कॉयर	कॉयर कम्पोजिट बोर्ड	परीक्षण विधि
1.	अवशिष्ट कीटनाशक सम) पैरामीटर) पीपीएम (अधिकतम)	1.0	1.0	1.0	1.0	लागू / आवश्यक नहीं	आईएस 15651
2.	जलीय अर्क का पीएच	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	आईएस 8391
3.	कुल क्लोराइड सामग्री(%) Cl के रूप में अधिकतम	लागू / आवश्यक नहीं	लागू / आवश्यक नहीं	लागू / आवश्यक नहीं	लागू / आवश्यक नहीं	0.3	आईएस 4202
4.	कुल सल्फेट	लागू /	लागू /	लागू /	लागू/	0.2	आईएस

				सामग्री)% (SO_4 के रूप में अधिकतम	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं	4203
		5.	मुक्त एवं बाहर लेने योग्य फार्मेल्डिहाइड	लागू / आवश्यक नहीं	300 पीपीएम केवल) / रंगीन उत्पादों (के लिए मुक्त) एवं बाहर लेने योग्य फार्मेल्डि (हाइड	लागू / आवश्यक नहीं	लागू / आवश्यक नहीं		आईएस 14563 (भाग-1 और 2) कॉयर उत्पाद
				केवल उत्पाद(मुक्त और जारी फॉर्मल्डिहाइड का कुल)				i (80 मिलीग्राम किग्राम/ मुक्त) फॉर्मेल्डिहाइड) ii) 0.12 मिलीग्राम/ मीटर (रिनीजेबल (फॉर्मेल्डिहाइ	1) 1813745 काम्पोजिट बोर्ड के लिए li) आईएस /आईए स ओ 12460 - 1 कॉयर कम्पोजिट बोर्ड के लिए
		6.	कृत्रिम अम्लीय सवेस द्वारा निकाली जाने योग्य भारी धातुएँ(पीपीएम (अधिकतम क. सुरमा (एस.बी) ख. आर्सेनिक (अस) ग. चांदी (पीबी) घ. कैडमियम (सीडी)	लागू / आवश्यक नहीं	10 1.0 1.0 0. 1 0.1 2.0 4.0 50.0 4.0	लागू / आवश्यक नहीं	लागू / आवश्यक नहीं	लागू / आवश्यक नहीं	

IndiaCode

			ङ. बुध(एचजी) च. क्रोमियम (सीआर) छ. कोबाल्ट (सीओ) ज. कॉपर (सीए) झ. निकल (एनआई)						
		7..	पेंटाक्लोरोफेनोल्स (पीसीपी), (पीपीएम) (अधिकतम)	लागू / आवश्यक नहीं	0.5 रंगीन के लिए केवल उत्पाद)	लागू / आवश्यक नहीं	लागू / आवश्यक नहीं	लागू / आवश्यक नहीं	आईएस 15651
		8.	प्रतिबंधित एरिल एमाइन एज़ो रंगों से, (पीपीएम) (अधिकतम)	लागू / आवश्यक नहीं	30.0 (रंगीन के लिए केवल उत्पाद)	लागू / आवश्यक नहीं	लागू / आवश्यक नहीं	लागू / आवश्यक नहीं	आईएस 15570

IndiaCode

दूसरी अनुसूची

[नियम 2(घ) देखें]

प्रारूप 1

[नियम 4(1) देखें]

उत्पाद के लिए ईकोमार्क प्रमाणीकरण आवेदन हेतु रूपविधान

क. <u>इकाई ब्यौरे</u>

1. आवेदक का नाम:
2. पता:
3. इकाई का प्रकार (विनिर्माता / निर्यातक / आयातक):
4. इकाई पहचान – कोई दो (जैसा लागू):
 - i. पैन (स्थायी खाता संख्या):
 - ii. यूएएन (उद्योग आधार संख्या):
 - iii. टैन (कर कटौती और संग्रह खाता संख्या):
 - iv. सीआईएन (निगमित पहचान संख्या):
 - v. जीएसटीआईएन (वस्तु और सेवा कर पहचान संख्या):

5. संपर्क ब्यौरे (नामनिर्दिष्ट संपर्क बिंदु)

i. नाम:

ii. पद का नाम:

iii. संपर्क (लैंडलाइन):

iv. संपर्क (मोबाइल):

v. ईमेल:

ख. <u>**उत्पाद ब्यौरे**</u>

6.उत्पाद की श्रेणी का चयन जिसके लिए एईकोमार्क मांगा जा रहा है:

7. उत्पाद विवरण:

i. उत्पाद का नाम:

ii. नमूना संख्या:

iii. उत्पाद वर्णन:

iv. विनिर्माण करने के स्थान का पता:

v. आईएस अनुपालन (हां /नहीं), ब्यौरे यदि हां:

vi. क्यूसीओ अनुपालन (हां/नहीं), ब्यौरे यदि हां:

घोषणा:

मैं यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता हूँ कि किसी भी गलत जानकारी के परिणामस्वरूप इस रजिस्ट्रीकरण को अस्वीकार किया जा सकेगा।

प्रारूप 2

[नियम 5(2)]

अपील के लिए प्रारूप

सेवा में,

केंद्रीय सरकार

1. अपीलार्थी की विशिष्टियाँ:

i. नाम

ii. पत्र-व्यवहार का पता:

iii. संपर्क नं.:

iv. ईमेल:

2. अपील के आधार :

(न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश की प्रति संलग्न करें)

3. न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश की तारीख:

IndiaCode

4. तथ्यों का विवरण:

मैं/हम, अपीलार्थी यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि यहां ऊपर दिए गए तथ्य मेरी/हमारी जानकारी, सूचना और विश्वास के अनुसार सही हैं।

5. अपीलार्थी के हस्ताक्षर और तारीख:

6. अपीलार्थी का नाम :

[फा. सं.: 12/56/2022-एचएसएम- भाग (2)]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2024.

G.S.R. 596(E).—WHEREAS the Government of India in the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change intends to encourage the demand for environment-friendly products that cause lesser adverse impacts on the environment, thereby, supporting the principles of 'LIFE (Lifestyle for Environment)', promote lower energy consumption, resource efficiency and conservation, circular economy and prevent misleading information on environmental aspects of products;

AND WHEREAS eco-labelling of products enables consumers to make informed purchase decisions as well as encourage manufacturers to transition to production of environment-friendly products leading to promotion of green industries;

AND WHEREAS the Ecomark may be granted to products that meet specified environmental criteria with respect to resource consumption and environmental impacts, in particular the impact on climate change, impact on nature and biodiversity energy consumption, generation of waste, emissions to all environmental media, pollution through physical effects and use and release of hazardous substances;

AND WHEREAS the draft Ecomark Certification Rules, 2023 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 4441(E), dated the 11th October, 2023 inviting objections and suggestions from all persons;

AND WHEREAS all the objections and suggestions received have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (ii) of sub-section (2) of section 3, sub-section (1) of section 6, section 23 and sub-section (1) of section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ecomark Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b) "product" means a product specified under column (2) the First Schedule;

(c) "registered agency" means an agency registered under sub-rule (2) of rule 13;

(d) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(e) "Verifier" means an entity registered as Verifier under rule 12.

3. Conditions for grant of Ecomark. – (1) An Ecomark may be granted to a product which has a license or a certificate of conformity of Indian Standards granted under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 and/or a mandate of the Quality Control Orders issued by the Central Government, and fulfils the criteria for grant of Ecomark specified under the corresponding entries under column (3) of the First Schedule.

(2) Criteria for grant of an Ecomark specified under the First Schedule may include the following:-

a. reduces the pollution by minimising or eliminating the generation of waste and environmental

emissions;

b. is recyclable or is made from recycled material or both;

c. reduces the use of non-renewable resources, including non-renewable energy sources and natural resources;

d. reduces the use of any material, which has adverse impacts on the environment;

(3) While developing criteria for grant of Ecomark to a product, the following may be taken into consideration, namely:-

a. production process, including source of raw material;

b. use of natural resources;

c. environmental impact;

d. effect and extent of emissions or waste arising from the production process;

e. disposal of the product and its packaging;

f. compliance with the Guidelines on Extended Producer Responsibility, wherever applicable;

g. utilisation of waste and recycled materials;

h. suitability for recycling; and

i. use of non-hazardous substances in place of hazardous substances.

4. Procedure for grant of Ecomark. –(1) An application for grant of Ecomark for a product which complies with the conditions under rule 3 shall be made to the Central Pollution Control Board in Form 1.

(2) On receipt of the application, the Central Pollution Control Board shall, by itself or through a Verifier, verify whether the product complies with the conditions under rule 3.

(3) After making such verification under sub-rule (2) as may be necessary, the Central Pollution Control Board shall prepare a report, or in case the verification is done by a Verifier, the Verifier shall prepare a report and submit to the Central Pollution Control Board, within a period of sixty days from the date of such verification.

(4) On receipt of the report, if the Central Pollution Control Board is satisfied that the product complies with the conditions under rule 3. it may grant Ecomark to the product.

(5) The Ecomark granted under sub-rule (4) shall be valid for a period of three years or until change in Ecomark criteria for the product, whichever is earlier.

(6) An application for the renewal of the Ecomark may be made to the Central Pollution Control Board upon its expiry and the provisions of sub-rules (1) to (5) of this rule and rule 3 shall apply.

(7) Every holder of Ecomark shall submit on or before the 31st May of every year, an annual report to the Central Pollution Control Board online through the web portal for the period commencing from the 1st April of the previous year to the 31st

March of succeeding year in respect of the product as per the pro forma,

prescribed by CPCB, on the Ecomark portal, and the Central Pollution Control Board shall examine such reports and forward a compilation thereof with their recommendations, if any, to the Ministry of Environment, Forest & Climate Change

on or before the 31st July of every year.

5. Cancellation of Ecomark. – (1) If the Central Pollution Control Board is satisfied that the holder of an Ecomark has furnished false information or has wilfully concealed any information required to be furnished under these rules, it may, after giving the holder of Ecomark an opportunity to be heard, and by order, for reasons to be recorded in writing, suspend or cancel the Ecomark.

(2) The holder of Ecomark, if aggrieved by an order made under sub-rule (1), may prefer an appeal to the Central Government in Form 2 within a period of thirty days from the date of receipt of the order of such suspension or cancellation.

(3) The Central Government may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days, if the holder of Ecomark satisfies the Central Government that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.

(4) The Central Government after giving the holder of Ecomark an opportunity to be heard and after such enquiry, as it deems fit, may make such order as it may consider necessary.

6. Use of Ecomark. – (1) Every person who has been granted an Ecomark in respect of a product shall affix on such product an Ecomark label granted under these rules.

(2) No person shall use the Ecomark on any product unless he has been granted an Ecomark in respect of such product.

7. Steering Committee. – (1) The Central Government shall constitute a Steering Committee which shall be responsible for the effective implementation of these rules.

(2) The Steering Committee shall consist of the following persons, namely:-

a. the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change Chairperson, ex officio;

b. the Additional Secretary or Joint Secretary (In-Charge Ecomark), Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member, ex officio;

c. the Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs - Member, ex officio;

d. one representative, not below the rank of Joint Secretary, each of-

(i) the Department for Promotion of Industry and Internal Trade Member, ex officio:

(ii) the Ministry of Information and Broadcasting - Member, ex officio;

(iii) the Department of Chemicals and Petrochemicals - Member, ex officio:

(iv) the Department of Agriculture and Farmers Welfare - Member, ex officio,

(v) the Department of Health and Family Welfare - Member, ex officio:

(vi) the Ministry of Micro Small and Medium Enterprises - Member, ex officio,

(vii) the Ministry of Power - Member, ex officio;

(viii) the Department of Drinking Water and Sanitation - Member, ex officio;

(ix) the Department of Expenditure - Member, ex officio;

(x) the Ministry of External Affairs - Member, ex officio;

(xi) the Department of Commerce - Member, ex officio;

(xii) the Ministry of Textiles - Member, ex officio;

(d) the Director General, Council of Scientific and Industrial Research - Member, ex officio;

(e) the Director General, Bureau of Indian Standards - Member, ex officio;

(f) the Chairman, Central Pollution Control Board Member, ex officio;

(g) two experts from the field of environmental standardisation-Members; and

(h) two representatives of the Industry Associations - Members.

(3) The Steering Committee may, with the prior approval of the Chairperson, invite or co-opt any other person to the meetings of the Steering Committee.

(4) The term of the Steering Committee shall be five years.

8. Functions of Steering Committee. – (1) The Steering Committee shall recommend for approval of the Central Government, in respect of the following, namely :-

(a) the products to be included under these rules for the grant of Ecomark on the basis of the recommendation of the Central Pollution Control Board:

(b) the measures to be adopted and the manner of promotion of the Ecomark;

(c) make periodic review of the criteria for grant of Ecomark and make recommendation to the Central Government;

(d) the measures for support of any research for verification of product of its impact on environment or revision of criteria for grant of Ecomark.

(2) The Steering Committee shall review the annual reports submitted by the holders of Ecomark and any

IndiaCode

recommendation made by the Central Pollution Control Board thereon for the effective and efficient monitoring and implementation of these rules.

(3) The Steering Committee shall carry out any other function assigned to it by the Central Government.

9. Functions of Central Pollution Control Board. – (1) The functions of the Central Pollution Control Board shall include the following, namely: -

(a) identification and recommendation to the Steering Committee of the products to be included under these rules for the grant of Ecomark:

(b) review and develop the criteria for grant of Ecomark, based on the knowledge available, technological and market developments, and the criteria being followed in other countries and make recommendation to the Steering Committee;

(c) develop initiatives for consideration of the Steering Committee to incentivize adoption of Ecomark;

(d) registration of Verifiers and agencies;

(e) compile the annual reports submitted by the Ecomark Certificate Holders for submission to the Ministry of Environment, Forest & Climate Change by 31st July of the next financial year;

(f) assess domestic or international voluntary ecolabelling programme, for recognition under these rules;

(g) assess international ecolabelling programme, for mutual recognition;

(h) any other function as assigned by the Steering Committee or the Central Government.

10. Technical Committee. - (1) The Central Pollution Control Board may with the approval of the Central Government constitute Technical Committee consisting of such experts and/ or expert organizations as it may consider necessary which shall assist the Central Pollution Control Board in the implementation of these rules.

(2) The Technical Committee may also assist the Central Pollution Control Board in the following matters, namely:

(a) review and development of the criteria for grant of Ecomark for products;

(b) development of the process of verification of products for grant of Ecomark;

(c) advise on any technical matter referred to it by the Central Pollution Control Board.

(3) The term of the Technical Committee shall be five years.

11. Web portal for Ecomark. – (1) The Central Pollution Control Board shall develop a web portal for making applications and for grant of Ecomark, submission of annual reports by the holder of the Ecomark, Verifier and agency registered under these rules, registration of Verifiers and auditors as well as of agencies for effective monitoring of the products for compliance with the conditions for Ecomark under these rules.

(2) Every holder of Ecomark, Verifier and agency registered under these rules shall submit on or before the 31st May of every year, an annual report to the Central Pollution Control Board online through the web portal for the period commencing

from the 1st April of the previous year to the 31st March of succeeding year in respect of the activities performed by them during the said period, as per prescribed pro forma on the Ecomark portal developed by the Central Pollution Control Board.

(3) The Central Pollution Control Board shall publish on the web portal the information in respect of the following, namely: -

(a) the details of each holder of Ecomark and the product in respect of which the Ecomark has been granted under these rules;

(b) a list of products which have been granted Ecomark under these rules;

(c) the report in respect of each product on the basis of which such Ecomark has been granted to the product under these rules;

(d) reports of research and studies undertaken in respect of a product and its impact on the environment;

(e) benefits of products with Ecomark; and

(f) global best practices in respect of each product granted with the Ecomark under these rules.

12. Verifiers. – (1) The Central Pollution Control Board shall register such entities having qualification and experience in the field of environment and matters relating to Ecomark as Verifiers as it may consider necessary for the purposes of verification of the products for the grant of Ecomark and its renewal under these rules.

(2) Every Verifiers shall submit an annual report to the Central Pollution Control Board on or before the 31st May of the succeeding year in respect of activities done by such Verifier in the previous year.

13. Compliance of products with Ecomark. -(1) The Central Pollution Control Board may on its own volition or on a complaint received by it, inspect and verify by itself or through a registered agency, any product that has been granted Ecomark for compliance with the conditions under these rules.

(2) The Central Pollution Control Board shall register such agencies, having relevant expertise and experience for inspection and verification of Ecomark criteria in respect of each product, as it may consider necessary for the purposes of these rules.

(3) The registered agency shall, upon such inspection and evaluation of the product, submit its report to the Central Pollution Control Board.

(4) The Central Pollution Control Board shall inform the holder of the Ecomark of any complaints in respect of the product and shall require him to submit his reply.

(5) The holder of Ecomark shall allow the Central Pollution Control Board or the registered agencies to undertake such inspection and verification as may be considered necessary for ensuring compliance with the conditions under these rules.

(6) The holder of the Ecomark shall grant access to the premises in which the product concerned is produced or kept to the Central Pollution Control Board and the registered agency.

(7) Every registered agency shall submit an annual report to the Central Pollution Control Board on or before the 31st May of every year in respect of the activities undertaken by it in the previous year.

14. Role of State Government/Union Territories. – (1) The State Pollution Control Board and the Pollution Control Committee shall create awareness about these rules through media, publications, advertisements, posters or by such other means of communication as may be considered appropriate.

(2) The State Pollution Control Board and the Pollution Control Committee shall undertake activities, including in respect of awareness, for effective implementation of these rules as may be recommended by the Steering Committee and approved by the Central Government.

15. Committee of Implementation. — (1) A Committee shall be constituted under chairpersonship of Chairman, Central Pollution Control Board to recommend measures to Steering Committee for effective implementation of the Ecomark Rules;

(2) The Committee shall monitor the implementation of the Ecomark Rules and also take such measures as required for removal of difficulties;

(3) The Committee shall also be tasked with the guiding and providing recommendations for the development and operation of the online portal;

(4) The Committee shall comprise of representatives of the concerned Ministries/Departments, representatives of industry associations and other relevant stakeholders. The Chairperson of the Committee may co-opt any stakeholder/expert to this Committee.

THE FIRST SCHEDULE

[*See rules 2(d) and 3(1)(f)*]

PRODUCTS AND CRITERIA FOR GRANT OF ECOMARK

	Product	Criteria for grant of Ecomark
(1)	(2)	(3)
1.	Architectural paints and powder coating	**1. GENERAL REQUIREMENTS:** 1.1 All formulations of paints shall meet relevant standards of Bureau of Indian Standards pertaining to quality and performance. 1.2 The product manufacturer must produce the consent clearance as per the provisions of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 along with the authorisation, if required, under Environment (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder to

		Bureau of Indian Standards while applying for the ECOMARK. 1.3 The product must display a list of critical ingredients in descending order of quantity present. The list of such ingredients shall be identified by Bureau of Indian Standards. 1.4 The product packaging may display in brief the criteria based on which the product has been labelled as Environment Friendly. 1.5 The product may be sold along with instructions for proper use so as to maximise product performance and minimise wastage. 1.6 The material used for product packaging shall be recyclable, reusable or biodegradable. **2. SPECIFIC REQUIREMENTS:** **2.1. Water based Coatings (inclusive of dry distemper and cement paints)** 2.1.1 The product shall not contain more than 5 per cent volatile organic compounds (VOC). 2.1.2 Product shall not be formulated with mercury and mercury compounds or be tinted with pigments of lead, cadmium, chromium VI and their oxides. Excluded are natural impurities or impurities entailed by the production process up to the amount of 0.1 percent by weight which are contained in the raw material.
		2.1.3 The product shall not be formulated or manufactured with:
		i. Free formaldehyde in excess of 10 mg per kg. of paint ii. halogenated solvents iii. benzene & poly-aromatic hydrocarbons iv. and other aromatic hydrocarbons **2.2.** Powder Coatings 2.2.1 The product shall be free from any VOC (Volatile Organic Compounds). Product shall not be formulated with mercury and mercury compounds or be tinted with pigments of lead, cadmium, chromium VI and their oxides. Excluded are natural impurities or impurities entailed by the production process up to the amount of 0.1 percent by weight which are contained in the raw material. 2.2.2 The product shall not be formulated or manufactured with free formaldehyde in excess of 10 mg per kg of paint. **2.3 Solvent based high solid coatings.** 2.3.1 The product shall not contain volatile organic compounds (VOC) in excess of 380 g/l. 2.3.2 Product shall not be formulated with mercury and mercury compounds or be tinted with pigments of lead, cadmium, chromium VI and their oxides. Excluded are natural impurities or impurities entailed by the production process up to the amount of 0.1 percent by weight which are contained in the raw material. 2.3.3 The product shall not be formulated or manufactured with: i. free formaldehyde in excess of 10 mg per kg. of paint ii. halogenated solvents iii. benzene & poly-aromatic hydrocarbons, and iv. other aromatic hydrocarbons in excess of 10 percent by weight
2	Cosmetics	1. GENERAL REQUIREMENTS: 1.1 All the products manufactured shall meet the requirements of following Indian Standards of BIS pertaining to safety, quality and performance: i. Skin Powder IS 3959:1978 ii. Skin Powder for infant IS 5399:1978 iii. Tooth Powder IS 5383:1978 iv. Tooth Paste IS 6356:1993 v. Skin Cream IS 6608:1978 vi. Hair oil IS 7123:1993 vii. Shampoo Soap based IS 7669:1990

IndiaCode

		viii. Shampoo Synthetic Detergent based IS 7884:1992 ix. Hair Cream IS 7679:1978 x. Oxidation Hair dye liquid IS 8481:1993 xi. Cologne IS 8482:1977 xii. Nail Polish (Nail Enamel) IS 9245:1993 xiii. After Shave Lotion IS 9255:1979 xiv. Pomades and Brilliantines IS 9339:1988 xv. Depliatories chemical IS 9636:1988 xvi. Shaving Cream IS 9740:1981 xvii. Cosmetic pencil IS 9832:1981 xviii. Lipstick IS 9875:1990 1.2 All the ingredients that go into formulation of cosmetics shall comply with the provisions prescribed in IS 4707 (Part-I) : 1988 and IS 4707 (Part-II) : 1993 as well as the product specific requirements. 1.3 The product package shall display a list of critical ingredients in descending order of quantity present. 1.4 The list of such ingredients shall be identified by BIS. The product manufacturer must produce the consent clearance as per the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974, Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act 1977 and Air (Pollution and Control of Pollution) Act 1981 along with the authorisation if required under Environment (Protection) Act 1986 and rules made thereunder to Bureau of Indian Standards while applying for the ECOMARK. Additionally, provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and rules made thereunder shall also be complied with 1.5 The product package shall be suitably marked that ECOMARK label is applicable only to the content if the product package is not separately covered under the ECOMARK Scheme. 1.6 The material used for product packaging shall be recyclable, reusable or biodegradable. 1.7. The product packaging may display in brief the criteria based on which the product has been labelled Environment Friendly. 2. SPECIFIC REQUIREMENTS: **2.1** Product shall be dermatological safe when tested by the method prescribed by IS 4011:1982 2.1.1 Biodegradability of surfactant agents wherever used in cosmetics formulation shall be as per the limit finalised for Ecomark for synthetic detergents. 2.1.2 Heavy metals calculated as Lead (Pb) and Arsenic (As2O3) shall not exceed 20 ppm and 2 ppm, respectively when tested by the respectively methods prescribed in Indian Standards. 2.1.3 STooth Paste/Tooth Powder: For the purpose of formulation of these products, the ingredients listed in IS 6356:1993 and IS 5383:1978 shall only be used. However, tooth paste shall not be fluoridated and presence of fluoride (F) as impurity shall not exceed the limit of 25 ppm when tested by the method prescribed in Indian Standards.
		2.1.4 Hair Dyes: Lead based dyes shall not be used. 2.1.5 Nail Polish: Halogenated organic solvents shall not be used.
3	Batteries	A. Automotive Lead-Acid Batteries 1. GENERAL REQUIREMENTS: 1.1 The automotive lead-acid batteries shall meet the relevant standards of Bureau of Indian Standards. 1.2 The product manufacturer must produce the consent clearance, as per the provisions of Water (PCP) Act 1974, Water (PCP) Cess Act 1977 and Air (PCP) Act 1981 along with the authorisation if required under

Environment (Protection) Act 1986 and rules made thereunder.

1.3 The product packaging may display in brief the criteria based on which the product has been labelled environment friendly.

1.4 The product may be sold along with instructions for proper use so as to maximise the product performance and safe disposal.

1.5 The material used for product packaging shall be recyclable or biodegradable.

1.6 The manufacturer shall organise the collection pay back system for the used batteries and provide documentary evidence by way of certificate or declaration to this effect while applying for Ecomark.

2. PRODUCT SPECIFIC REQUIREMENTS:

2.1 Automotive Lead-Acid Batteries:

2.1.1 The quantity of lead used, in kg per battery (A), charged battery weight with electrolyte in kg (B) and Ratio A:B shall not exceed the limits given below:

S.No.	Type of Battery	Net lead content in Kg.'A'	Charged battery weight with Electrolyte in Kg.'B'	Ratio A:B
Type of Battery in IS 7372 (Pt-1) at 20h rate capacity				
1.	12 V 32 Ah	6.11	10.5	59
2.	12 V 35 Ah	6.6	11.0	60
3.	12 V 50 Ah	8.36	16.0	53
4.	12 V 60 Ah	9.96	17.5	57
5.	12 V 75 Ah	13.75	22.5	62
6.	12 V 110 Ah	17.17	30.2	57
7.	12 V 120 Ah	19.32	36.0	56
8.	12 V 135 Ah	20.91	36.3	58
9.	12 V 150 Ah	24.8	45.0	56
Type of battery in IS 13568:1992 at 10h rate capacity				
10.	6 V 4 Ah	0.5	0.85	59
11.	6 V 6 Ah	0.7	1.3	54
12.	6 V 14 Ah	1.51	2.8	64
13.	12 V 2.5 Ah	0.7	1.15	61
14.	12 V 5 Ah	1.44	2.10	69
15.	12 V 6.5 Ah	1.50	2.35	64

IndiaCode

2.1.2 Lead used in batteries shall be recovered/manufactured through a process complying under the provisions of Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974, Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act 1977 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 along with the authorisation if required under Environment (Protection) Act 1986 and rules made thereunder.

2.1.3 The manufacturer of 'Oxide' as well as 'Grid' plates of the battery shall ensure full compliance of the provision under Water (PCP) Act 1974, Water (PCP) Cess Act 1977 and Air (PCP) Act 1981 along with the authorisation if required under Environment (Protection) Act 1986 and rules made thereunder.

2.1.4 The product shall contain the following percentage of recycled lead (from post-consumer lead) measured ever a period of 3 months (as a rolling average), where 100 percent is the total amount of lead contained in the batteries manufactured during the quarter:

i. up to 1 year 25% minimum

ii. up to 2 years 40% minimum

iii. up to 3 years 50% minimum

B. Dry Cell Batteries

1. GENERAL REQUIREMENTS:

1.1 The dry cell batteries shall meet the relevant standards of Bureau of

		Indian Standards. 1.2 The product manufacturer must produce the consent clearance, as per the provisions of Water (PCP) Act 1974, Water (PCP) Cess Act 1977 and Air (PCP) Act 1981 along with the authorisation if required under Environment (Protection) Act 1986 and rules made thereunder.
		1.3 The product packaging may display in brief the criteria based on which the product has been labelled environment friendly. 1.4 The product may be sold along with instructions for proper use so as to maximise the product performance and safe disposal. 1.5 The material used for product packaging shall be recyclable or biodegradable. 1.6 The manufacturer shall organise the collection pay back system for the used batteries and provide documentary evidence by way of certificate or declaration to this effect to Bureau of Indian Standards while applying for Ecomark. 2. PRODUCT SPECIFIC REQUIREMENTS: 2.1 Non-rechargeable dry cell batteries: The amount of mercury in batteries shall not exceed 0.005 per cent by weight. 2.2 Re-chargeable dry cell batteries: The re-chargeable batteries shall not contain more than 0.005 per cent of mercury.
4	Lubrication Oils	1. GENERAL REQUIREMENTS: 1.1. All lubricating/speciality oils shall meet relevant Indian Standards notified by Bureau of Indian Standards (BIS). 1.2. The product manufacturer must produce the consent clearance as per the provision of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 respectively along with the authorisation, if required under Environment (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder to Bureau of Indian Standards while applying for the Ecomark. 1.3. The product must display the list of critical ingredients in descending order of quantity present in per cent by weight, to be decided by BIS. 1.4. The product packaging may display in brief the criteria based on which the product has been labelled Environment Friendly. 1.5. The material used for product packaging shall be recyclable, reusable or biodegradable. 1.6. The product package or leaflet accompanying it may display instructions of proper use, storage, transport and recommend disposal guidelines after use and safe handling precautions so as to maximise the product performance and minimise wastage. 2. PRODUCT SPECIFIC REQUIREMENTS: 2.1.1 Lubricating Oils (Virgin) Following categories of oil are included: a) Lubricants: Vegetable Oil based b) Lubricants: Other than Vegetable Oil based 2.1.2 The product must not have toxic effect on aquatic organisms. EC 50/LC 50 shall not be less than 1.0 mg/litre. 2.1.3 The base oil, additives and formulated products must have per cent biodegradability as mentioned below: i. Lubricants (Vegetable Oil based) 90% ii. Lubricants (other than Vegetable Oil based) 60% The above mentioned per cent biodegradability shall be tested as per OECD test method CEC-L-33-T-82, 21 days. 2.1.4 The product shall not contain toxic metals such as lead and barium. Antimony shall not be used in concentration beyond 0.25% when tested as per AAS method. The product must not contain halogenated products such as PCBs, PCTs and PBTs as well as Nitrites.

		2.2 Formulated Lubricants from Re-claimed/Re-refined Oils. 2.2.1 The product shall contain more than 50% by volume re-refined/recycled products, reclaimed through environmentally compatible re-refining process. 2.2.2 The product shall meet the product specific requirements as per lubricating oils (Virgin)
5	Soaps and Detergents	A. TOILET SOAPS 1. GENERAL REQUIREMENTS: i) All toilet soaps shall meet relevant standards of Bureau of Indian Standards as amended from time to time pertaining to quality, safety and performance. ii) The manufacturers must produce the consent clearance as per the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 respectively along with the authorisation, if required, under the Environment (Protection) Act, 1986 to BIS while applying for ECOMARK; iii) The product must display a list of critical ingredients in descending order of quantity present in per cent by weight. The list of such critical ingredients shall be identified by Bureau of Indian Standards; iv) The product packaging material shall be made from recyclable, reusable or biodegradable material; v) The product packaging may display in brief the criteria based on which the product has been labelled Environment Friendly; and vi) The product may be accompanied by detailed instructions for proper use so as to maximise product performance and minimise wastage. 2. PRODUCT SPECIFIC REQUIREMENTS: (a) Product formulated or manufactured shall not contain phosphates and synthetic detergents. (b) Product shall be dermatologically safe when tested by the methods given in DOC: CHD 025(0236). B. DETERGENTS **1.** GENERAL REQUIREMENTS: i) All detergent formulations for house-hold and industrial use shall meet relevant standards of Bureau of Indian Standards (BIS) as amended from time to time, pertaining to quality, safety and performance. ii) The manufacturers must produce the consent clearance from the concerned State Pollution Control Board as per the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 respectively along with the authorization, if required, under the Environment (Protection) Act, 1986 to BIS while applying for ECO Mark; iii) The product must display a list of critical ingredients in descending order of quantity present in per cent by weight. The list of such critical ingredients shall be identified by the BIS; iv) The product packaging may display in brief the criteria based on which the product has been labelled Environment Friendly; v) The product may be accompanied by detailed instructions for proper use so as to maximise product performance and minimise wastage; and vi) The product packaging material shall be made from recyclable, reusable or biodegradable material. **2.** PRODUCT SPECIFIC REQUIREMENTS: (a) Product shall not contain phosphates. Any other substitutes may be used which shall be environment friendly. (b) The safety on use of the product shall be evaluated as per the methods given in BIS standards as amended from time to time:

		(i) The safety evaluation pertaining to irritant potention according to IS 11601 (Part I)- 1990 and (ii) Skin sensitization potential according to IS:11601 (Part II)-1991, and (c) Skin sensitisation potential according to IS: 11601 (Part II) - 1991 and Product shall be formulated or manufactured with readily biodegradable surfactants when tested by modified strum test as prescribed in the Indian Standard. C. LAUNDRY SOAPS 1. GENERAL REQUIREMENTS: i) All laundry soaps shall meet relevant standards of Bureau of Indian Standards as amended from time to time pertaining to quality, safety and performance: ii) The manufacturers must produce the consent clearance as per the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act 1977 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, along with the authorisation, if required, under the Environment (Protection) Act, 1986. iii) The product must display a list of critical ingredients in descending order of quantity present in per cent by weight. The list of such critical ingredients shall be identified by the Bureau of Indian Standards. iv) The material used for product packaging material shall be made from recyclable, reusable or biodegradable material and the parameters evolved under the scheme of labelling environment friendly products on specific subject of packaging shall apply. v) The product packaging may display in brief the criteria based on which the product has been labelled Environment Friendly. vi) The product may be accompanied by detailed instructions for proper use so as to maximise product performance and minimise wastage; and vii) Product formulated or manufactured shall not contain phosphates. viii) The non-soapy detergent (NSD) if used in the manufacture of laundry soaps shall be readily biodegradable when tested by modified sturm test as prescribed in the Indian Standard. ix) The material shall pass the test when evaluated for irritant potential as per the method prescribed in IS 11601 (Part-1) : 1986 and skin sensitisation potential when evaluated as per the method prescribed in IS 11601 (Part-2) : 1992.
6	Paper	1. GENERAL REQUIREMENTS: i) All the paper manufacturers shall meet relevant Indian Standards of Bureau of Indian Standards (BIS) pertaining to quality and performance. ii) The product manufacturers must produce the consent clearance as per the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, respectively along with the authorisation, if required, under Environment (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder to BIS while applying for ECOMARK. iii) The product packaging may display in brief the criteria based on which the product has been labelled Environment Friendly. iv) The material used for product packaging shall be made from recyclable, reusable or biodegradable material and the parameters evolved for the packaging shall also apply. 2. SPECIFIC REQUIREMENT: (i) The paper and paper boards manufactured out of pulp containing not less than 60 percent by weight of pulp made from materials other than bamboo, hard woods, soft woods and Reed. (ii) Recycled paper and paper board must be made from 100 percent waste paper.
7	Food Items	A. Edible Oils, Tea and Coffee

		1. GENERAL REQUIREMENTS: (i) All formulation of edible oils, tea and coffee shall meet relevant standards of Bureau of Indian Standards pertaining to quality. (ii) The product manufacturers must produce the consent clearance as per the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act, 1977, respectively along with the authorisation, if required, under Environment (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder while applying for ECOMARK : and the product shall be in accordance with the Prevention of Food Adulteration Act 1954 and the rules made thereunder unless otherwise specified. Additionally, in case of Vanaspati, the manufacturer shall comply with the provisions under Vegetable Oil Products Control Order 1975 issued by the Director of Vanaspati, Ministry of Civil Supplies, Government of India. (iii) The product must display a list of critical ingredients in descending order of quantity present (C/o. W/W, or V/V). The list of such Ingredients shall be identified. (iv) The product packaging may display in brief the criteria based on which the product has been labelled environment friendly. (v) The material used for product packaging shall be recyclable (i.e. which can be reprocessed to manufacture any other useful product) or biodegradable and the parameters evolved under the SLEFP (scheme on labelling of environment-friendly products) on the specific subject of packaging shall apply. 2. PRODUCT SPECIFIC REQUIREMENTS: A. Edible Oils Category 1: Raw and Refined Edible Vegetable Oil) (i) The product shall not contain aflatoxin mor than 5 ppb. (ii) The pesticide residues (if any), in the product shall not exceed the limits as prescribed in Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and rules made thereunder. (iii) The toxic metal concentration (if any) shall not exceed the following limits: Lead 5.0 ppm Arsenic 0.5 ppm Cadmium 1.0 ppm Mercury 0.25 ppm (iv) Antioxidants as permitted under Prevention of Food Adulteration Act, 1954 in specified quantities shall be used. (v) Shelf life shall be declared and marked by the manufacturer. Category 2: Vanaspati (Hydrogenated Vegetable Oil) (i) Nickel concentration in the product shall not exceed 0.5 part per million. (ii) The product shall be free from obnoxious chemicals (iii) The pesticides residues (if any) in the product shall not exceed the limits as prescribed in Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and Rules made thereunder. (iv) The toxic metal concentration (if any) shall not exceed the following limits. Lead 5.0 ppm Arsenic 0.5 ppm Cadmium 1.0 ppm Mercury 0.25 ppm

		(v) Shelf life shall be declared and marked by the manufacturer. (vi) Only permitted antioxidants under Prevention of Food Adulteration Act, 1954 shall be used, if required. B. Tea (i) Product shall be free from adulterants like spent tea leaves, grit, sand, leaves of other plants. (ii) Product shall be free from off-odour and shall have its characteristic flavour. (iii) Lead content shall not exceed 6.5 ppm. (iv) The product shall be free from any added colouring and no extraneous flavour shall be added, however, for exports this may be allowed as per the provisions of PFA Act, 1954 and rules made thereunder. (v) Product shall be free from mould growth. (vi) The pesticides residues (if any) shall not exceed the limits as specified in the Prevention of Food Adulteration Act 1954 and Rules made thereunder. C. Coffee (i) Coffee beans shall be free from infestation due to insect, fungus and rodents. (ii) Product shall be free from any extraneous matter like strings, stone, dirt, wood, glass and metallic pieces. (iii) Product shall be free from any added colouring, flavouring and also free from rancidity and should have its characteristic flavour. (iv) Product shall be free from adulterants like dandelion and other roots, nerons, fige, date, stones and cereals. (v) The pesticides residues (if any) in the product shall not exceed the limits as prescribed in Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and Rules made thereunder.
8	Packaging material / Package	Part I Paper Boards & Plastics excluding Laminates 1. GENERAL REQUIREMENTS: 1.1 All the packaging material/package manufactured shall meet relevant standards of BIS (Bureau of Indian Standards) pertaining to safety, quality and performance wherever applicable. 1.2 The manufacturer of packaging material/package must produce the consent clearance as per the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 along with the authorisation, if required, under the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made thereunder to BIS while applying for Ecomark. Additionally, the manufacturer shall also comply with the provisions under prevention of Food Adulteration Act 1954 and rules made thereunder, wherever necessary. 1.3 The packaging material/package may display in brief the criteria based on which the product has been labelled as Environment Friendly. 1.4 The packaging material/package may be sold along with instruction for proper use and mode of safe disposal so as to maximise product performance and minimise wastage. 1.5 It shall also be suitably mentioned that ECOMARK label is applicable only to the packaging material/package, if content is not separately covered under Ecomark. It may be stated that the Ecomark is applicable to the product or packaging material or both. 2. PRODUCT SPECIFIC REQUIREMENTS: 2.1 Paper & Paper Boards 2.1.1 The paper and paper boards packaging materials/packages shall be manufactured from the following raw materials:

i) 100 per cent waste paper or agricultural/industrial wastes;

ii) A minimum of 60 per cent by mass of pulp made from materials other than bamboo, hardwood, softwood and reed;

iii) Paper and paper boards used for packaging of food materials shall be manufactured from virgin pulp and shall be free from dioxins. Printed surfaces of the paper shall not come into contact with the food and the maximum amounts of contaminants in paper intended to come into contact with food shall not exceed the limits given in the following table when tested as per the methods given in Appendix-I

Contaminant	X	Y	Z (in mg/kg of paper)
Cadmium (Cd)	-	0.5	0.5
Chromium (Cr +6)	-	0.1	0.1
Lead (Pb)	-	3.0	3.0
Mercury (Hg)	-	0.3	0.3
Pentachlorophenol (PCP)	0.05	0.05	0.05
Polychlorinated biphenyls (PCBs)	2.0	2.0	0.5

X: Paper intended to come into contact with dry food.

Y: Paper intended to come into contact with wet food and food with fatty Surface.

Z: Paper for filtration.

2.1.2 The paper and paper boards packaging materials/packages shall conform to the relevant Indian Standards. The paper and paper boards used for the manufacture of packaging materials/packages shall comply with the relevant Indian standards.

2.2. PLASTICS (Excluding Laminates)

2.2.1 The plastic packaging materials/packages used for packaging of food, pharmaceutical, cosmetics and drinking water shall comply with the relevant Indian standards and shall be manufactured from the plastics which shall comply with relevant Indian Standards.

2.2.2 The packaging material used for packaging of non-food, non-pharmaceutical, non-cosmetics and non-drinking water commodities shall be manufactured from recycled plastics which shall, apart from fillers and reinforcing agents, be a minimum of 30% by weight of compatible plastic wastes.

Part - II: Laminates and products thereof

1. GENERAL REQUIREMENTS:

1.1 Following requirements will be applicable depending upon their relevance to the specific product (to be decided by BIS).

1.2 Laminates and products thereof consisting of two or more substrates mentioned below used for manufacture of packaging material/package shall meet the relevant Indian Standards of Bureau of Indian Standards (BIS)

i. Aluminium

ii. Jute

iii. Paper

iv. Plastic

1.3 The manufacturer of packaging material/package must produce the consent clearance as per the provisions of Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974, Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act 1977 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 along with the authorisation, if required under Environment (Protection) Act 1986 while applying for ECOMARK. Additionally, the manufacturer shall also comply with the provisions under Prevention of Food Adulteration Act 1954 and rules made thereunder, wherever necessary.

		1.4 The packaging material/package may display in brief the criteria based on which it has been labelled as environment friendly. 1.5 The packaging material/package may be sold along with instruction for proper storage, use and mode of safe disposal so as to maximise product performance and minimise wastage. 1.6 It shall also be suitably mentioned that Eco label is applicable only to the packaging material/package, if content is not separately covered under Ecomark, wherever is applicable. It may be stated that the Ecomark is applicable to the product or packaging material/package or both. 1.7 Packaging material/package as well as ink used for printing on it shall not contain heavy metals (as Pb) more than 10 ppm when tested as per method given in IS 4006 (Part - III) : 1978 and arsenic content shall not exceed 1.5 ppm when tested as per method given in IS 1060 (Part-II):1960. 1.8 The compatibility of the product, process and package including its substrates and adhesives must be ensured by the manufacturer of the end product so that the product (content) quality is maintained within the specified limits till the end of its declared shelf life wherever applicable. The manufacturer shall provide documentary evidence by way of certificate or declaration to this effect while applying for Ecomark. 2. PRODUCT SPECIFIC REQUIREMENTS: 2.1 Laminates and products thereof shall be recyclable or reusable for non-food purposes which shall be demonstrated to BIS with supporting document/certificate. 2.2 The laminates and products thereof used for packaging of food, pharmaceuticals, cosmetics and drinking water shall be manufactured from the raw material as specified in the relevant Indian Standard for this purpose. 2.3 The laminates and products thereof shall not contain any residual volatile organic compounds when tested by gas liquid chromatography method. 2.4 There shall not be any obnoxious odour in laminates.
9	Electric / Electronic Goods	GENERAL REQUIREMENTS 1.1 All products manufactured shall meet the requirements of following Indian Standards of BIS pertaining to quality, safety and performance: i. Tubular Flourescent Lamps IS 2418(Pt- 1977 ii. Electrical Iron IS 366:1985 iii. Steam Iron IS 6290:1986 iv. Immersion water heater IS 368:1983 v. Electric radiator IS 369:1983 vi. Electric Stoves IS 2994:1986 vii. Ceiling fans including regulators IS 374:1979 viii. Pedestal fans IS 1169:1967 ix. Table fans IS 555:1979 x. Exhaust fans IS 2312:1967 xi. Desert coolers IS 3315:1974 xii. Geysers IS 2082:1985 xiii. Electric toasters IS 1287:1986 xiv. Refrigerators IS 1476:1979 xv. Colour Televisions IS 10662:1992 xvi. Black & White Televisions IS 4547:1992 xvii. Food Mixers IS 4250:1980 xviii. Instantaneous water heaters IS 8978:1985

		xix. Electronic fan regulators IS 11037:1984 xx. Manually operated voltage regulator for domestic use IS 8447:1989 xxi. Automatic line voltage corrector IS 8448:1989 xxiii. Servo motor operated line voltage corrector IS 9815:1989 xxiv. Hot plates IS 365:1983 xxv. Single phase electric motors IS 996:1979 1.2 The product manufacturer must produce the consent clearance, as per the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974, Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act 1977 and Air (Pollution and Control of Pollution) Act 1981 along with the authorisation if required under Environment (Protection) Act 1986 and rules made there under to Bureau of Indian Standards while applying for the ECOMARK. 1.3 The product must display a list of critical components/cautionary notes, as applicable, which shall be decided by BIS. 1.4 The product packaging may display in brief the criteria based on which the product has been labelled environment friendly. 1.5 The product may be sold along with instructions for proper use so as to maximise product performance, minimise wastage and method of safe disposal of used product. 1.6 The material used for product packaging shall be recyclable or biodegradable. 1.7 Domestic electrical/electronic appliances shall conform to the noise levels as notified under the Environment (Protection) Act, 1986 from time to time for individual appliance, if any. 2. SPECIFIC REQUIREMENTS: **2.1** Television (Colour and Black and White) 2.1.1 CFC and other aromatic-halogenated hydrocarbons shall not be used for cleaning purpose during manufacturing assembly. 2.1.2 The electromagnetic radiation from colour television shall not exceed the limit specified in IS 6842:1977 when tested as prescribed in IS 4546:1983. 2.1.3 The rated maximum power consumption in watts for colour and black & white television receivers shall be as specified below: i. CTV – 75 W for screen size upto and including 53 cms; and 100 W for screen size above 53cm. ii. B&W TV – 50 W for screen size above 36 cm but below 51 cm; and 75 W for screen size of 51 cm and above" **2.2 Energy Efficiency/Reduced Power Consumption for Electrical Appliances** 2.2.1 The product shall have atleast 5 percent improvement in energy efficiency or 5 percent reduction in power consumption over and above, the limit prescribed in the relevant Indian Standards. Alternatively, equipment using solar energy shall be eligible for ECOMARK under this clause. In case where both energy efficiency and power consumption have been specified in the Indian Standards, the Ecomark criteria shall be based on improved energy efficiency. However, in cases where product of energy efficiency and power factor has been specified, 5 percent improvement in the specified limit shall be the criteria for Ecomark. **2.3** Electric type fan regulators, Manual operated voltage stabilizers, Automatic voltage stabilizers and Servo Motor operated voltage stabilizers. 2.3.1 The product shall have at least 96 percent energy efficiency. In case of electronic type fan regulators, compliance with the relevant Indian Standard together with compliance with the General Requirements prescribed under clause 1, are adequate for considering them under ECOMARK.

		2.4 Tubular Fluorescent Lamps 2.4.1 Slim line fluorescent tubes with 36 watts (as against 40 watts for 38 mm dia fluorescent tubes) and 18 watts (as against 20 watts for 38 dia fluorescent tubes) rated power consumption shall be considered for Ecomark.
10	Food Additives	1. GENERAL REQUIREMENTS: 1.1 All products of Beverages, Baby Foods and Processed Fruit and vegetable products shall meet the relevant standards for BIS pertaining to quality 1.2 The product manufacturer must produce the consent clearance, as per the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974, Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act 1977 and Air (Pollution and Control of Pollution) Act 1981 along with the authorisation if required under Environment (Protection) Act 1986 and rules made thereunder to Bureau of Indian Standards while applying for the ECOMARK and the product shall also be in accordance with the Prevention of Food Adulteration Act 1954 and the rules made thereunder. 1.3 The product packaging may display in brief the criteria based on which the product has been labelled Environment Friendly. 1.4 The material used for product packaging shall be recyclable or biodegradable 1.5 The date of manufacture and date of expiry shall be declared on the product package by the manufacturer. 1.6 The product must be microbiologically safe when tested as per IS:5403 and IS:5887 (Part V) and should be free from bacterial and fungal toxins. 1.7 The pesticide residues (if any) in the product shall not exceed the limit as prescribed in PFA Act, 1954 and the rules made thereunder. 1.8 The product package or leaflet accompanying it may display instructions of proper use and storage so as to maximise the product performance, safety and minimise wastage. 2. PRODUCT SPECIFIC REQUIREMENTS: 2.1 Beverages: IS 2346:1992 Carbonated beverages IS 13019:1991 Non alcoholic beverages bases (concentrates) for domestic use 2.1.1 Arsenic content of the product shall not exceed 0.1 ppm. 2.1.2 The material used inside the metal cap of the product shall conform with the relevant Indian Standards of food grade plastics. Caps and closures shall not be treated as labels. 2.1.3 The percentage of fruit juice pulp, if any added shall be mentioned on the product package. 2.1.4 No synthetic colour and artificial sweetener shall be added or used in the product manufacturing. 2.2 Infant Foods: IS 1547:1985 Infant milk food IS 1656:1985 Milk cereal based weaning food IS 11156:1985 Infant Formulae IS 13471:1992 Low fat infant formula IS 6387:1987 Vegetable protein infant food with milk 2.2.1 Arsenic content of the product shall not exceed 0.1 ppm 2.2.2 The material used inside the metal cap of the product shall conform with the relevant Indian Standards of food grade plastics. Caps

		and closures shall not be treated as labels. 2.2.3 The percentage of fruit juice pulp, if any added shall be mentioned on the product package. 2.2.4 No synthetic colour and artificial sweetener shall be added or used in the product manufacturing. 2.2.5 Product shall be free from Aflatoxins. 2.3 Processed Fruits and Vegetable Products excluding beverages: (a) Canned fruits and vegetables: IS 2867:1964 Canned Mangoes IS 2868:1964 Canned Pineapples IS 2869:1964 Canned Orange Segments IS 3445:1965 Canned Peas IS 3246:1965 Canned Okra (Bhindi) IS 3247:1976 Canned Bitter Gourd (Karela) IS 3248:1992 Canned Tomatoes IS 3500:1966 Mango Chutney IS 3501:1966 Pickles IS 8786:1978 Canned Okra (Bhindi) in Tomato Sauce IS 9789:1981 Canned Apricot IS 9790:1981 Canned French Beans IS 9791:1981 Canned Tinda IS 9811:1981 Canned Spinach IS 9822:1981 Canned Parwal IS 9823:1981 Canned Potatoes IS 10252:1982 Canned Carrot in Brine IS 10253:1982 Canned Papaya in Syrup IS 13474:1993 Canned Green Pepper in Brine (b) Dehrydrated fruits and vegetables IS 4452:1967 Dehydrated Onion IS 4624:1987 Dehydrated Peas IS 4625:1968 Dehydrated Carrots IS 4626:1978 Dehydrated Potatoes IS 4627:1968 Dehydrated Cabbage IS 4628:1978 Dehydrated Okra (Bhindi) IS 5452:1992 Dehydrated Garlic IS 9486:1980 Dehydrated Green Pepper (c) Jams, Jellies and marmalades IS 5861:1992 Jams, Jellies and Marmalades (d) Juices and concentrates IS 3547:1976 Mango Nectar IS 3880:1976 Canned Mango Pulp IS 3881:1966 Tomato Juice IS 3882:1966 Tomato Ketchup IS 3883:1993 Tomato Puree IS 3884:1993 Tomato Paste IS 4935:1968 Synthetic Syrups IS 4936:1968 Fruit Squashes IS 5800:1970 Orange Juice IS 7732:1975 Apple Juice

		IS 8713:1978 Mango Juice 2.3.1 The limit of heavy metal contaminants in the products shall be in accordance with Indian Standards or as per CODEX standards and whichever is lower will apply. The list of such contaminants shall be identified by BIS.
11	Wood Substitutes	1. GENERAL REQUIREMENTS: 1.1 Products manufactured shall meet relevant Indian Standards of BIS (Bureau of Indian Standards) pertaining to safety, quality and performance. The product manufacturer must produce the consent clearance, as per the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974, Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act 1977 and Air (Pollution and Control of Pollution) Act 1981, along with the authorisation if required under Environment (Protection) Act 1986 and rules made thereunder while applying for the ECOMARK appropriate with enforced rules and regulations of the Forest Department. 1.2 The product or product packaging may display in brief the criteria based on which the product has been labelled Environment Friendly. 1.3 The material used for product packaging shall be recyclable, reusable or biodegradable. 2. SPECIFIC REQUIREMENTS: **2.1** Substitutes for fuel-wood: 2.1.1 Briquettes shall be made from agricultural and wood residues (like saw dust) and domestic wastes (like garbage) without synthetic binders, for industrial and domestic use. Such briquettes shall not be manufactured from any wastes material which contain any hazardous constituents as specified under Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 1989. **2.2** Substitutes for Wood Building Material 2.2.1 Building boards generally used as partitioning, panelling, cladding and false-ceiling shall be made from agricultural or industrial wastes (such as Phospho-gypsum, red mud, baggase, cotton stalk, rice-husk, coir fibre, sisal fibre or wood residues etc., or wood from sources other than natural forests or environment friendly plastics as notified separately. 2.2.2 Door and window frames and shutters used in buildings shall be made from agricultural or industrial wastes or wood residues or wood from sources, other than natural forests or ferrocement or building boards specified in 2(ii)(a) above or environment friendly plastic as notified separately, or frames made from enforced cement concrete. **2.3** Substitutes for Wood in Furniture 2.3.1 The furniture (table, chairs and Stool etc.) shall be made from agricultural or industrial wastes or wood residues or wood from sources other than natural forests or building boards specified in 2(ii)(a) above or environment friendly plastics as notified separately.
12	Aerosol Propellants	1. GENERAL REQUIREMENTS: 1.1 Propellants used in aerosol products shall meet the relevant Standards of BIS (Bureau of Indian Standards) pertaining to safety, quality, and performance. The manufacturer must produce the consent clearance as per the provisions of water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 along with the authorisation, if required under environment (Protection) Act 1986 and the rules made thereunder while applying for Ecomark. 1.2 The product package shall be suitably marked that the Ecomark label is applicable only to the propellants used in Aerosol sprays, if the product package is not separately covered under the Ecomark Scheme. 1.3 Product package or leaflet accompanying it may display instructions of proper use, storage and disposal so as to maximise the product performance, safety and minimise wastage. 1.4 The material used for product packaging shall be made from recyclable or biodegradable material. 2. SPECIFIC REQUIREMENTS:

		2.1 The aerosol propellants shall not contain any Ozone Depleting Substances (ODS) relevant to Aerosol industry as identified under Montreal Protocol.
13	Plastic Products	1. GENERAL REQUIREMENTS: 1.1 All products of plastics shall meet relevant standards of Bureau of Indian Standards pertaining to quality, safety, and performance. The product manufacturer must produce the consent clearance as per the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 along with the authorisation if required under Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made thereunder while applying for the ECOMARK. The manufacturers of Plastic wares shall produce documentary evidence with respect to the compliance of regulation under Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and Drugs and Cosmetic Act, 1940 and rules made thereunder, wherever necessary. 1.2 The product must display a list of critical ingredients in descending order of quantity present expressed as per cent of the total. The list of such ingredients shall be identified by Bureau of Indian Standards. 1.3 The product packaging may display in brief the criteria based on which the product has been labelled environment friendly. 1.4 The material used for product packaging shall be recyclable or biodegradable. It shall also be suitably mentioned that Ecomark label is applicable only to the packaging material/package if content is not separately covered under Ecomark. It may be stated that the Ecomark is applicable to the product or packaging material or both.
		2. SPECIFIC REQUIREMENTS: **2.1 Food, Pharmaceutical and Drinking Water Grade Plastic Products** 2.1.1 For the manufacture of these items one or more of the virgin materials covered in following Indian Standards shall be used: i. IS 10142 : 1982 ii. IS 10151 : 1982 iii. IS 10910 : 1984 iv. IS 11434 : 1985 v. IS 11704 : 1986 vi. IS 12247 : 1988 vii. IS 12252 : 1987 2.2 Recycled Plastic Products: This sub-category includes all plastic products as further defined in the following categories: i. Horticultural supplies. ii. Produce containers. iii. Office supplies. iv. Non-food containers. v. Recreational equipment and furniture. vi. Construction materials. Horticultural supplies include all implements, containers and support structures used in gardening activities such as flower pots, garden stakes and berry trays. Product containers include containers for agricultural produce such as eggs, fruits and vegetables. Office supplies include all implements, containers and support structures for use in offices such as presentation folders, file folders and binder covers. Non-food containers, not for holding the contents, include all containers for non-food products such as detergent bottles, pallets, and reusable packaging containers. Recreational equipment and furniture include all implements and support structures designed for the recreational market such as play ground equipment and patio tables. Construction materials include all materials used in the construction of structures

IndiaCode

		whether stationary or transportable, such as lumber, fencing or shingles. 2.2.1 The plastic products identified in sub-categories from 2.2(i) to 2.2 (v) shall apart from fillers and reinforcing agents, be made from the minimum 90 per cent, by weigh, of compatible plastic wastes. 2.2.2 The plastic products identified in sub-category 2.2(vi) shall apart from fillers and reinforcing agents, be made from the minimum 60 per cent, by weight, or compatible plastic wastes.
14	Textiles	1. GENERAL REQUIREMENTS: 1.1 All the textile products manufactured shall meet relevant standards of Bureau of Indian Standards. The product manufacturer must produce the consent clearance as per the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981, Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 respectively, along with the authorisation, if required under Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made thereunder while applying for Ecomark. Additionally, the manufacturer shall produce documentary evidence on compliance of the provisions related to noise level and occupational health under the provisions of Factories Act, 1948

IndiaCode

and Rules made thereunder.

1.2 The product packaging may display in brief the criteria based on which the product has been labelled environment friendly.

1.3 The material used for product packaging shall be reusable or made from recyclable or biodegradable materials.

1.4 Fatty alcohol based non-ionics as emulsifier should be sued wherever required.

1.5 Polyhalogenated based phenolic fire retardants shall not be used.

2. **SPECIFIC REQUIREMENTS:**

A.	**COTTON, WOOL, MAN-MADE FIBRE & BLENDS**			
S. No.	**Parameters***	**Max. limit, mg/kg (ppm)**		
.	.	**Baby**	**Close to Skin**	**Outer**
		Clothing		**Fabrics**
1	2	3	4	5
1)	Free & Releasable Formaldehyde	20	75	300
2)	Extractable artificial sweat/salvia Heavy Metals Mercury	0.1	0.1	0.1
3)	Chromium III	0.1	0.1	0.1
4)	Chromium VI	Nil	Nil Below detectable limit	Nil
5)	Sum Parameters (as lead)	10.0	10.0	10.0
6)	Pentachlorophenol (PCP)	0.5	0.5 (Detectable limit using GC.MS)	0.5
7)	Volatile Hydrocarbons (non-halogens)	150	150	150
8)	Volatile Halogenated Organics	200	200	200
9)	Pesticides (Sum Parameter) **	1.0	1.0	1.0
10)	Banned Pesticides	Nil	Nil (Below detectable limit)	Nil
11)	pH of aqueous extract	4.0-7.5	4.0-7.5	4.0-7.5
12)	Coupled Amines released from Azo-dyes (Sum parameters) ***	50	50 (Detectable limit using GC-MS)	50

IndiaCode

B.	JUTE AND JUTE PRODUCTS		
S. No.	Parameters *	Max. limit, mg/kg.	
.	.	Home Textiles & Clothing	Hessians & Sockings
1	2	3	4
1)	Free and Releasable Formaldehyde		
.	Close to skin	75	NA
.	Outer Fabrics	300	NA
2)	Extractable artificial sweat/salvia	.	.
.	Heavy Metals	.	.
.	Mercury	0.1	NA
.	Chromium III	0.1	NA
.	Chromium VI	Nil (Below detectable limit)	NA
.	Sum parameters(as lead)	10.0	NA
3)	Non-halogenated Hydrocarbon	NA	3%
4)	Fatty esters based oil	2%	NA
5)	Pesticides (Sum Parameter)**	1.0	1.0
.	Banned Pesticides	Nil (Below detectable limit)	Nil
6)	PH of aqueous extract	6.0-7.0	6.0-7.0
7)	Coupled amines released from Azo-dyes (Sum parameters)***	50	50 (Detectable limit using GC-MS)

IndiaCode

C. SILK AND SILK PRODUCTS

S. No	Parameters*	Max. limit, mg/kg (ppm)		
	.	Baby Clothing	Close to Skin	Outer Fabrics
1	2	3	4	5
1)	Free & Releasable Formaldehyde	20	75	300
2)	Extractable artificial sweat/salvia Heavy Metals	0.1	0.1	0.1
.	Chromium III	0.1	0.1	0.1
.	Chromium VI	Nil	Nil Below detectable	Nil
.	Sum Parameters (as lead)	10.0	10.0	10.0
3)	Pentachlorophenol (PCP)	0.5	0.5 (Detectable limit	0.5
4)	Volatile Hydrocarbons (non-halogens)	150	150	150
5)	Pesticides (Sum Parameter) **	1.0	1.0	1.0
	Banned Pesticides	Nil	Nil (Below detectable	Nil
6)	pH of aqueous extract from Azo-dyes (Sum parameters) ***	4.0-7.5	4.0-7.5 (Detectable limit using GC-MS)	4.0-7.5

IndiaCode

15	Fire Extinguishers	1. **GENERAL REQUIREMENTS:** 1.1 Any fire extinguisher having BIS standard mark qualifies for consideration of Ecomark. Following are the BIS Standards for portable and mobile fire extinguishers:

IS 940:1989	Portable Fire Extinguishers Water Type (Gas Cartridge)
IS 2171:1985	Portable Fire Extinguishers Dry Powder Type (Cartridge)
IS 2878:1986	Fire Extinguishers Carbon Dioxide Type (Portable and Trolly - Mounted)
IS 6234:1986	Portable Fire Extinguishers Water Type (Stored Pressure)
IS 10204:1982	Portable Fire Extinguishers Mechanical Foam Type
IS 10658:1983	Higher Capacity Dry Powder Fire Extinguishers (Trolly-Mounted
IS 11833:1986	Dry Powder Fire Extinguishers for Metal Fires
IS 13385:1992	Specifications for Fire Extinguishers 50 litre Wheel-Mounted Water type (Gas Cartridge)
IS 13386:1992	Specifications for Fire Extinguishers 50 litre Mechanical Foam Type
IS 13849:1993	Portable Fire Extinguishers Dry Powder Type (Constant Pressure)

1.2 The product manufacturer must produce the consent clearance as

		per provision of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, Water (Prevention & Control of Pollution) Cess Act, 1977 and Air (Prevetnion & Control of Pollution) Act, 1981, respectively, along with authorisation if required under Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made thereunder while applying for Ecomark. 1.3 The product may display in brief the criteria based on which the product has been awarded Ecomark. 1.4 The product may be sold along with instructions for proper use so as to maximise product performance with statutory warning, if any, minimise waste and method of safe disposal. 1.5 The material used for product packaging (excluding refills) shall be recyclable, reusable or biodegradable. 1.6 The product must display a list of critical ingredients in descending order of quantity present in percent by weight. The list of such critical ingredients shall be identified by the Bureau of Indian Standards. 2. **SPECIFIC REQUIREMENTS:** 2.1 The fire extinguishers shall not contain any Ozone Depleting Substance (ODS) relevant to fire extinguishers industry as identified under the Montreal Protocol. 2.2 Gas-based extinguishing media once discharged in the atmosphere should not have atmospheric lifetime of more than a year. 2.3 Chemicals used should not have global warming potential. 2.4 The metallic body and other metal parts of the fire extinguishers shall be free of lead or lead alloys. 2.5 The coatings used for the metallic part shall not be formulated with mercury and mercury compounds or be tinted

		with pigments of lead, cadmium, chromium VI and their oxides. Excluded are natural impurities or impurities entailed by the production process up-to the amount of 0.1 percent by weight which are contained in the raw material.
16	Finished Leather	1. **GENERAL REQUIREMENTS:** 1.1 The manufacturers shall produce consent clearance as per the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, along with the authorisation for Hazardous Waste Management, if required under the Environment (Protection) Act, 1986, for seeking Ecomark certification. 1.2 The product packaging shall display in brief the criteria based on which the product has been labelled environment friendly. The material used for product packaging shall be recyclable or reusable or biodegradable.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. SPECIFIC REQUIREMENTS:
<table>
<tr><th>S.No.</th><th>Parameters*</th><th>Limits</th><th>Test method, As per</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>PH of aqueous extract of leather</td><td>Not less than 3.5 & if less than 3.5, the pH difference on dilution by a factor of 10 differential number, should not be more than 0.6</td><td>LC:18 of
IS 582: 1970</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Formalehyde,mg/kg, Max</td><td>200</td><td>**</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Pentachlorophenol (PCP), mg/kg, Max</td><td>5#</td><td>IS 14575:1998</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Aryl amines released from Azo-dyes (Sum parameters)***, mg/kg, Max</td><td>30#</td><td>**</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hexavalent Chromium, mg/kg, Max</td><td>3</td><td>**</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Coir & Coir Products</td>
<td>1. GENERAL REQUIREMENTS:
1.1 Product manufactures shall meet the requirements specified in the relevant Indian Standards formulated by Bureau of Indian Standards (BIS):
Coir Fibre
IS 898 - Specification for Retted Coir Fibre (Second revision)
ii. IS 9308 (Parts 1 to 3) - Specification for Mechanically Extracted Coir Fibres (First revision)
iii. IS 9308 (Part 4) - Specification for Mechanically Extracted Coir Fibre Part 4 Machine Twisted Curled
Coir Fibres

b) Coir Products
i. IS 11420 (Parts 1 to 9) - Specification for coir mats Part 1 General requirements</td>
</tr>
</table>

		Part 2 Corridor mats Part 3 Door mats — Creel, bit and fibre Part 4 Door mats — Rod Part 5 Gymnasia mats Part 6 Loop mats Part 7 Mesh mats Part 8 Rope mats (Lover's knot mats) Part 9 Sinnet mats ii. IS 12503 (Parts 1 to 6) - Coir - mattings, mourzouks and carpets Part 1 General requirements Part 2 Coir mattings Part 3 Ribbed coir mattings Part 4 Coir mourzouks Part 5 Coir carpets Part 6 Coir mattings for cricket pitches iii. IS 14596 - Coir products- 2- Ply coir yarns spun by manual operation- Specification iv. IS 15340 - Coir felt— Specification v. IS 15869 - Textiles - Open Weave Coir Bhoovastra — Specification vi. IS 1410 - Textiles —– Coir Ropes —– Specification (Third Revision) vii. IS 16338 - Fibre Ropes — Coir Twine for Trailing Hop Vines — Specification **c) Coir Pith (Indian standard on the subject is under development)** **d) Rubberized coir:** i. IS 8391 - Specification for rubberized coir sheets for cushioning (First Revision) ii. IS 11060 - Specification for moulded rubberized coir cushioning **e) Coir composite boards:** i. IS 14842 - Coir veneer board for general purposes - Specification ii. IS 15491 - Medium density coir boards for general purposes - Specification iii. IS 15877 - Coir faced block boards - Specification iv. IS 15878 - Coir hardboard for general purposes — Specification 1.2 The product manufacturers must produce the consent clearance, as per the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the authorization(s), if required under the rules notified under the Environment (Protection) Act, 1986 as applicable, and the rules made there under, to BIS while applying for Ecomark. 1.3 The product(s) or product packaging(s) may display in brief the criteria based on which the products has/have been labelled environment friendly.

IndiaCode

1.4 The material used for product packaging(s) shall be recyclable, reusable, or biodegradable.

2. **SPECIFIC REQUIREMENTS:**

S. No.	Parameters	Coir Fibre	Coir products	Coir Pith	Rubberised coir	Coir Composite Boards	Test Methods
1.	Residual pesticides (Sum parameter) (ppm) (Max)	1.0	1.0	1.0	1.0	Not Applicable / Required.	IS 15651
2.	pH of aqueous extract	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7	IS 8391
3.	Total Chloride content (%) as Cl, Max	Not Applicable / Required.	Not Applicable/ Required.	Not Applicable/ Required.	Not Applicable / Required.	0.3	IS 4202
4.	Total Sulphate content (%) as SO_4, Max	Not Applicable/ Required	Not Applicable/ Required	Not Applicable / Required	Not Applicable / Required	0.2	IS 4203
5.	Free and Releasable Formaldehyde (max)	Not Applicable / Required	300 ppm (For coloured products only) (Total of free and released formaldehyde)	Not Applicable / Required	Not Applicable / Required	i) 80 mg/kg (Free Formaldehyde) ii) 0.124 mg/m^3 (Releasable Formaldehyde)	IS 14563 (Part-1 & 2) for Coir Products i) IS13745 for Coir Composite Boards ii) IS/ISO 12460-1 for Coir Composite Boards
6.	Extractable heavy metals by artificial acidic sweat (ppm) (Max)	Not Applicable / Required		Not Applicable/ Required.	Not Applicable / Required.	Not Applicable / Required.	IS 15651
	a. Antimony (Sb)		10				
	b. Arsenic (As)		1.0				
	c. Lead (Pb)		1.0				
	d. Cadmium (Cd)		0.1				
	e. Mercury (Hg)		0.1				
	f. Chromium Total (Cr)		2.0				
	g. Cobalt (Co)		4.0				
	h. Copper (Cu)		50.0				
	i. Nickel (Ni)		4.0 (For coloured products only)				
7.	Pentachlorophenols (PCP), (ppm) (Max)	Not Applicable / Required	0.5 (For coloured products only)	Not Applicable / Required	Not Applicable / Required	Not Applicable / Required	IS 15651
8.	Banned aryl amines from azo dyes, (ppm) (Max)	Not Applicable / Required	30.0 (For coloured products only)	Not Applicable / Required	Not Applicable / Required	Not Applicable / Required	IS 15570

IndiaCode

THE SECOND SCHEDULE

[*See rule 2(d)*]

FORM 1

[*See rule 4(1)*]

Format for Application for Ecomark Certification for a product

A. **Entity Details**

1. Name of the Applicant:
2. Address:
3. Type of Entity (Manufacturer / Exporter / Importer):
4. Entity Identification – any Two (As Applicable):
 i. PAN (Permanent Account Number):
 ii. UAN (Udyog Aadhar Number):
 iii. TAN (Tax Deduction and Collection Account Number):
 iv. CIN (Corporate Identification Number):
 v. GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number):
5. Contact Details (Nominated Point of Contact)
 i. Name:
 ii. Designation:
 iii. Contact Number (Landline):
 iv. Contact Number (Mobile):
 v. Email:

B. **Product details**

6. Select Product Category for which Ecomark is being sought:
7. Product Description:
 i. Product Name:
 ii. Model Number:
 iii. Product Description:
 iv. Manufacturing Location Address(es):
 v. IS Compliance (YES/NO), details if yes:
 vi. QCO Compliance (YES/NO), details if yes:

Declaration:

I hereby declare that the information provided above is true and accurate to the best of my knowledge. I understand that any false information may lead to the rejection of this registration.

IndiaCode

FORM 2

[*See rule 5(2)*]

Format for Appeal

To

The Central Government

.

.

.

1. Particular of appellant:
 i. Name:
 ii. Address for correspondence:
 iii. Contact No.:
 iv. Email:
2. Grounds of appeal:

 (A copy of order of adjudicating officer to be enclosed)
3. Date of order of the adjudicating officer:
4. Statement of facts:

 I/We ……., the appellant hereby declares that the facts stated herein above are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.
5. Signature of appellant and date:
6. Name of appellant:

[F. No. 12/56/2022-HSM-Part(2)]

NAMEETA PRASAD Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.10.01 11:53:21 +05'30'